# हरियाणा सरकार
## वित्त विभाग
## अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2006.

संख्या 4/4(2)2003–2एफ.आर. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सामान्य भविष्य निधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**

1. (1) ये नियम हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**नियमों का लागूकरण और प्रभाव।**

2. (1) यथा उपबन्धित के सिवाए ये नियम सरकारी कर्मचारिओं के उन सभी प्रवर्गों, जो हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं और जिनका वेतन हरियाणा राज्य की समेकित निधि में से निकाला जाता है, को लागू होंगे, अर्थात :–

(i) राज्य सेवा के ग्रुप क से घ के सभी सदस्यों ;

(ii) हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा विधानसभा से सम्बधित राज्य सेवा के सदस्यों ;

(iii) कोई अन्य सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी जिसे सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों को लागू कर सकता है।

(2) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे:–

(i) अनुबन्ध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों;

(ii) तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों ;

(iii) वर्कचार्ज कर्मचारियों;

(iv) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों;

(v) प्रशिक्षु रूप मे कार्यरत कर्मचारियों;

(vi) सरकारी कर्मचारियों का कोई अन्य प्रवर्ग जिनको सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि ये नियम उन को लागू नहीं होंगे।

(3) इन नियमों की कोई बात यथा इसमें इसके पूर्व सामान्य भविष्य निधि के अस्तित्व को निरस्वीकार करने या कोई नई निधि गठित करने को प्रभावित नहीं करेगी ।

**परिभाषाऐं।**

3. (1) इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों .–

(i) **'महालेखाकार'** से अभिप्राय है महालेखाकार कार्याल्याध्यक्ष (लेखा एवं स्थापना), जो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व करता है, जो हरियाणा राज्य के लेखे रखता है और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से इन लेखों का लेखा–परीक्षा करता है ;

(ii) **'प्रशासनिक विभाग'** से अभिप्राय है वित्त विभाग से भिन्न हरियाणा सरकार का विभाग ;

(iii) **'सन्तान'** से अभिप्राय है, वैध सन्तान तथा इसमें दत्तक सन्तान भी शामिल है, जहां गोद लेना, संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन अभिदायकर्ता या प्रतिपाल्य को शासित करने वाली वैयक्तिक विधि द्वारा मान्य है । ऐसे मामले में जिस में किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सन्तान गोद दी है तथा यदि गोद लेने वाले की वैयक्तिक विधि के अधीन, गोद लेना प्राकृतिक सन्तान की हैसियत के रूप में विधिवत् मान्य है, ऐसी सन्तान को, इन नियमों के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक पिता के परिवार से अलग माना जायेगा;

(iv) इन नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के सम्बन्ध में **'सक्षम प्राधिकारी'** से अभिप्राय है, वित्त विभाग या कोई अन्य प्राधिकारी जिसको इन नियमों के द्वारा या के अधीन ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जिसके परामर्श से सरकार का सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग कार्य कर रहा है, ऐसे प्राधिकारियों की सूची **अनुबन्ध–झ** में दी गई है;

(v) **'आश्रित'** से अभिप्राय है, निधि के अभिदायकर्ता का कोई भी सम्बन्धी अर्थात्: पत्नी, पति, माता–पिता, सन्तान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहन और मृतक पुत्र की विधवा तथा सन्तान और जहां अभिदायकर्ता के माता पिता जीवित नहीं है तब उसके पितामह–पितामही;

(vi) **''परिवार''** से अभिप्राय है ;

(क) **पुरूष अभिदायकर्ता** के मामले में अंभिदायकर्ता की पत्नी (या पत्नियां जहां वैयाक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है) संतान, विधवा (या विधवाएं जहां वैयाक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है) और

मृतक पुत्र (पुत्रों) की सन्तान और इसमें माता–पिता, अविवाहित बहनें और अविवाहित अंभिदायकर्ता के अव्यस्क भाई भी शामिल हैं,

परन्तु यदि कोई अभिदायकर्ता यह सिद्ध करे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से अलग हो गई है या वह समुदाय जिससे वह सम्बन्ध रखती है, की प्रचलित विधि के अधीन अलग हो गई है, भरण–पोषण की पात्र हो जायेगी, वह मामला, जिससे इन नियमो का सम्बंध है, में अभिदायकर्ता के परिवार के सदस्य के रूप मे तब तक नहीं समझी जायेगी जब तक अभिदायकर्ता बाद में महालेखाकार को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा सूचित नहीं करता कि उसे इस प्रकार सदस्य के रूप में समझा जायेगा।

(ख) **महिला अभिदायकर्ता** के मामले में, अभिदायकर्ता का पति और संतान, विधुर (या कई विधुर जहां वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है) और अभिदायकर्ता के मृतक पुत्र (पुत्रों) की संतान और इसमें अविवाहित अभिदायकर्ता के माता–पिता, अविवाहित बहनें और अव्यस्क भाई भी शामिल है ;

परन्तु यदि कोई अभिदायकर्ता महालेखाकार को लिखित में नोटिस द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग करने की इच्छा व्यक्त करे, पति तब तक उन मामलों में जिनसे इन नियमों का सम्बन्ध है अभिदायकर्ता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदायकर्ता बाद में कार्याल्याध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा इसे रदद् नहीं करवाता ;

(vii) "**वित्त विभाग**" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार का वित्त विभाग;

(viii) "**प्रथम नियुक्ति**" से अभिप्राय है, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, न कि सरकार के अधीन कोई नियुक्ति धारित करने का

नियुक्ति समय, यद्यपि उसने ऐसी नियुक्ति पहले भी धारित की हुई हो ;

(ix) "**विदेश सेवा**" से अभिप्राय है, ऐसी सेवा जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की स्वीकृति से भारत की समेकित निधि या राज्य की समेकित निधि से भिन्न किसी दूसरे स्रोत से वेतन प्राप्त करता है ;

(x) "**निधि**" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि ;

(xi) "**सरकार**" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(xii) "**विभागाध्यक्ष**" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से ऐसे रूप मे घोषित कोई प्राधिकारी;

(xiii) "**कार्यालयाध्यक्ष**" से अभिप्राय है, सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा ऐसे रूप में घोषित कोई प्राधिकारी ;

(xiv) "**अवकाश**" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को लागू हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार का अवकाश ;

(xv) "**अवकाश वेतन**" से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी जब अवकाश पर है, को वेतन के बदले दी गई मासिक राशि ;

(xvi) "**नामनिर्देशिती**" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति) जिसे अभिदायकर्ता की मृत्यु के उपरांत उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ;

(xvii) "**वेतन**" से अभिप्राय है, अभिदायकर्ता द्वारा वेतनमान में हर मास प्राप्त किया जाने वाला मूल वेतन, इसमें मंहगाई वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन भी शामिल हैं ;

(xviii) "**सेवा छोडने**" से अभिप्राय है, सेवानिवृत्ति तथा इसमें शामिल पदच्युति, हटाना, त्यागपत्र, सेवा से छटनी, लापता, मृत्यु तथा केन्द्र/राज्य सरकार (सरकारों) के नियंत्रण के अधीन निकायों में आमेलन ;

(xix) "**अभिदायकर्ता**" से अभिप्राय है, निधि का सदस्य ;

(xx) "**निर्वाह भत्ता**" से अभिप्राय है, निलम्बित सरकारी कर्मचारी जिसे वेतन या अवकाश वेतन नहीं मिलता, को भुगतान किया जाने वाला मासिक भत्ता ;

(xxi) **"वर्ष"** से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष अर्थात् जो किसी वर्ष के प्रथम अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम xix) में दिया गया है, जो **परिशिष्ट क** में पुनः दर्शाया गया है।

**निधि का गठन।**

4. (1) भारत में निधि का रख–रखाव रुपयों में किया जायेगा।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में भुगतान की गई सभी राशियां ''हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि'' नामक लेखे में सरकार के बही खातों में जमा होंगी । राशियॉ जिन की इन नियमों के अधीन देय होने के बाद अदायगी छह मास के भीतर नहीं की जाती है, तो उनको वर्ष के अन्त में ''निक्षेप'' में अन्तरित कर दिया जायेगा और निक्षेप के सम्बन्ध में सामान्य नियमों के अधीन समझी जायेगी।

**पात्रता की शर्तें।**

5. (1) सभी अस्थाई सरकारी कर्मचारी (जिनमें सभी परिवीक्षाधीन और सभी पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी शामिल हैं) और सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी निधि में अभिदाय करेंगे। इस नियम के प्रयोजन के लिये परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को अस्थाई सरकारी कर्मचारी माना जायेगा। वे सेवा में आने के तुरन्त बाद सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या लेकर निधि में अभिदाय करेंगे। मास जिस में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या कार्यालय में प्राप्त हो जाती है, उसके अगले मास से अभिदाय शुरू हो जायेगा। अभिदायकर्ता जो संविदा आधार से अन्यथा बिना सेवा व्यावधान के पुनः नियोजित किया जाता है तो वह पुनः नियोजन के तुरन्त बाद अपने विद्यमान निधि खाते में अभिदाय जारी रखेगा।

(2) दूसरी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से हरियाणा सरकार के अधीन किसी पद पर स्थानांतरण या अन्यथा नियुक्त कर्मचारी के मामले में हरियाणा सरकार में पद भार ग्रहण करने पर सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त करने के बाद भविष्य निधि में अभिदाय करेगा। उसके पूर्व रोजगार में उसकी पहले से जमा राशि उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा सम्बद्ध कर्मचारी की लिखित सहमति पर नये सामान्य भविष्य निधि में अन्तरित की जायेगी ।

(3) हरियाणा/दूसरी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों तथा निगमों की सेवा से हरियाणा सरकार के अधीन किसी पद पर स्थानांतरण या अन्यथा नियुक्त कर्मचारी के मामले में हरियाणा सरकार में पद भार ग्रहण करने पर सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त करने के बाद भविष्य निधि में अभिदाय करेगा। उसके पूर्व रोजगार

में उसकी पहले से जमा राशि उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा सम्बद्ध कर्मचारी की लिखित सहमति पर नये सामान्य भविष्य निधि में अन्तरित कर दी जाएगी ।

(4) हरियाणा सरकार के कर्मचारी के मामले में केन्द्र सरकार/किसी दूसरी राज्य सरकार या उन द्वारा नियंत्रित बोर्ड व निगमों के अधीन पदों पर स्थानांतर/समायोजित होता है तो हरियाणा राज्य के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा उसकी राशि नये नियोक्ता और सम्बद्ध कर्मचारी की सहमति से नये नियोक्ता के पास अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) हरियाणा सरकार के कर्मचारी के मामले में, जो हरियाणा राज्य द्वारा नियंत्रित बोर्ड और निगम के अधीन पद पर समायोजित हो जाता है, तो हरियाणा राज्य के सामान्य भविष्य निधि खाते में उसकी जमा राशि नये नियोक्ता और सम्बद्ध कर्मचारी की सहमति पर सम्बद्ध बोर्ड और निगम को अन्तरित कर दी जायेगी।

**सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या का आबंटन।**

6. (1) हरियाणा राज्य में सेवा ग्रहण करने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को विहित आवेदन पत्र संख्या **पी.एफ I (अनुबंध क)** में तीन प्रतियों में सामान्य भविष्य निधि में प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) उप–नियम (1) में यथावर्णित आवेदन पत्र के साथ नाम–निर्देशन फार्म **पी.एफ.2 (अनुबंध ख)** तीन प्रतियों में लगाना होगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष दोहरी प्रति में नाम–निर्देशन फार्म सहित आवेदन पत्र सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या के आबंटन और नामनिर्देशिती व्यक्ति की स्वीकृति के लिए महालेखाकार को अग्रेषित करेगा।

(4) महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आबंटित करेगा और आवेदन प्ररूप की दूसरी प्रति पर सामान्य भविष्य निधि खाता अंकित करके और नाम–निर्देशन प्ररूप को विधिवत् स्वीकृति प्रदान करके कार्यालयाध्यक्ष को वापस भेजेगा।

(5) सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त होने पर, कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी की सेवा पंजीका के प्रथम पृष्ठ पर इसका इन्द्राज करेगा। सेवा पंजी में नाम–निर्देशन की विषय–वस्तु का आवश्यक इन्द्राज भी अभिलिखित करेगा।

**नामनिर्देशन।**

7. (1) अभिदायकर्ता निधि में सम्मिलित होते समय, उस राशि को जो कि निधि में उसके खाते में जमा की गई राशि के देय हो जाने के पूर्व या देय होने पर, भुगतान की गई हो, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, राशि प्राप्त करने हेतू एक या अधिक व्यक्तियों को अधिकार प्रदत्त करते हुए एक नाम–निर्देशन कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को भेजेगा।

परन्तु नामनिर्देशन करते समय अभिदायकर्ता का परिवार है तो नामनिर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि मुसलमान अभिदायकर्ता द्वारा उसकी दत्तक सन्तान के पक्ष में किया गया नाम–निर्देशन स्वीकार्य नहीं होगा, जैसेकि गोद लेना मुस्लिम विधि में मान्य नहीं है।

(2) यदि उप–नियम (1) के अधीन अभिदायकर्ता एक से अधिक व्यक्तियों का नाम–निर्देशन करता है तो वह नाम–निर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिती को देय हिस्सा ऐसी रीति में करेगा कि किसी भी समय निधि में उसके खाते में जमा सम्पूर्ण राशि अन्तर्विष्ट हो जाये।

(3) प्रत्येक नाम–निर्देशन प्ररूप संख्या **पी.एफ.2 (अनुबन्ध ख)** में होगा।

(4) उपरोक्त उप–नियम (1) में वर्णित शर्तों के दृष्टिगत कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को लिखित नोटिस भेजकर अभिदायकर्ता किसी भी समय नाम–निर्देशन रद्द/पुनरीक्षित कर सकता है। अभिदायकर्ता, ऐसे नोटिस सहित या अलग से इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नया नाम निर्देशन भेजेगा। यदि अभिदायकर्ता नया नाम–निर्देशन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके निधन के फलस्वरूप सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि देय हो जाती है तो राशि का भुगतान निधि के नियमों के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा मानो कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है।

(5) अभिदायकर्ता नाम–निर्देशन में यह उपबन्धित करेगा :–

(क) किसी नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति के सम्बन्ध में कि अभिदायकर्ता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार नाम–निर्देशन में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को मिल जायेगा, बशर्तेकि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, यदि अभिदायकर्ता के परिवार के दूसरे सदस्य हैं, तो ऐसा सदस्य या ऐसे सदस्य होंगे। इस खण्ड के अधीन जहां कोई अभिदायकर्ता एक से अधिक व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, तो नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय राशि अथवा हिस्सा इस तरह निर्दिष्ट करेगा कि उसके खाते में जमा सम्पूर्ण राशि का भुगतान हो जायेगा।

(ख) कि उसमें निर्दिष्ट किसी आकस्मिकता घटित होने पर नाम–निर्देशन अवैध हो जायेगा :

परन्तु नाम–निर्देशन करते समय अभिदायकर्ता का परिवार नहीं है तो वह नाम–निर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि बाद में उसका परिवार होने की स्थिति में नाम–निर्देशन अवैध हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि नाम–निर्देशन करते समय अभिदायकर्ता के परिवार का केवल एक सदस्य है, वह नाम–निर्देशन में उपबन्ध करेगा कि बाद में उसके परिवार में दूसरे सदस्य या सदस्यों के वृद्धि होने पर वैकल्पिक नामनिर्देशिती को खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त अधिकार अवैध हो जायेगा।

(6) उप–नियम (5) के खण्ड (क) के अधीन जिसमें कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है या उप–नियम (5) के खण्ड (ख) अथवा उसके उपबन्ध के अनुसरण में कोई घटना होने के कारण नामनिर्देशन अवैध हो जाता है, नाम–निर्देशित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अभिदायकर्ता तुरन्त उसके कार्याल्याध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को इस नियम के उपबंधों के अनुसार तैयार करके नये नाम–निर्देशन के साथ नाम–निर्देशन रद्द करते हुये लिखित में नोटिस देगा।

(7) अभिदायकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन तथा रद्दकरण का प्रत्येक नोटिस उस सीमा तक वैध व प्रभावी होंगे जिस तिथि को वह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है।

(8) जब तक राशि का भुगतान नहीं होता है, सेवा के दौरान किया गया नामनिर्देशन सेवानिवृत्ति के बाद भी पुनरीक्षित किया जा सकता है ;

परन्तु अभिदायकर्ता द्वारा पुनरीक्षित नामनिर्देशन सम्बद्ध नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो।

(9) अभिदायकर्ता की हत्या करने के लिए मुकद्मा भुगत रहे नामनिर्देशिती को न्यायालय का निर्णय होने तक भुगतान से वंचित किया जाए। यदि आपराधिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर, सम्बद्ध व्यक्ति अभिदायकर्ता की हत्या करने या हत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो उसका हिस्सा उसे दे दिया जायेगा। यदि नामनिर्देशिती अभिदायकर्ता की हत्या करने या हत्या के लिये प्रेरित करने का दोषी ठहराया जाता है तो उसे उसके हिस्से को प्राप्त करने से वंचित किया जायेगा जो दूसरे नामनिर्देशिती या परिवार के पात्र सदस्यों या अभिदायकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को देय होगा, जैसा इन नियमों में उपबंधित है।

(10) नाम–निर्देशन के अनुसार निधि राशि का भुगतान करना सरकार के लिए वैध है लेकिन नामनिर्देशिती (व्यक्तियों) को भुगतान होने से पहले यदि कोई न्यायालय डिक्री कर देता है कि नामनिर्देशिती (व्यक्तियों) से भिन्न दूसरे व्यक्तियों को भुगतान किया जाये, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(11) यदि अभिदायकर्ता का निधन हो जाता है और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है और वैध नाम–निर्देशन नहीं है, तब दावेदार को न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

**अभिदायकर्ता का खाता।**

8. प्रत्येक अभिदायकर्ता के नाम से महालेखाकार के कार्यालय में एक खाता खोला जायेगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा –

(i) उसका अभिदाय ;

(ii) अभिदाय पर ब्याज, जैसा कि नियम 12 में उपबन्धित है;

(iii) निधि से लिये गये अग्रिम और निकासियां; तथा

(iv) अग्रिमों की वसूली।

**अभिदाय की शर्तें।**

9. (1) निलम्बन अवधि को छोड़कर अभिदायकर्ता निधि में मासिक अभिदाय करेगा :

परन्तु अभिदायकर्ता उस अवकाश अवधि जिसमें उसे कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता या अवकाश वेतन, अर्ध वेतन के बराबर या कम है, के दौरान अभिदाय न करने के विकल्प का चयन कर सकता है :

परन्तु यह और कि निलम्बन अवधि के बाद अभिदायकर्ता पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ बहाल होता है तो उसे उसके बकायाजात में से एक ही किस्त में अभिदाय का बकाया जमा करवाना अपेक्षित होगा।

(2) अभिदायकर्ता उप–नियम (1) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट अवकाश के दौरान अभिदाय न करने के अपने चयन के सम्बन्ध में अपने कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा । उचित तथा समय पर सूचना देने में असफल रहता है तो अभिदाय का चयन किया गया समझा जाएगा।

(3) उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन सूचित किया गया अभिदायकर्ता का विकल्प अन्तिम होगा।

(4) जब कोई अभिदायकर्ता विदेश सेवा में स्थानांतरित हो जाये अथवा प्रतिनियुक्ति पर भारत में या भारत के बाहर भेज दिया जाये, तो वह निधि के नियमों के अधीन वैसे ही बना रहेगा, यदि वह इस तरह स्थानांतरित नहीं किया गया होता या प्रति–नियुक्ति पर नहीं भेजा गया होता।

(5) यदि कोई अभिदायकर्ता राज्य के भीतर एक स्थापना से दूसरी स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है तो वह उसी सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या में अभिदाय करता रहेगा।

(6) अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने से छह मास पूर्व निधि में अभिदाय बन्द कर दिया जायेगा।

**अभिदाय की दरें।**

10. (1) अभिदाय की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिदायकर्ता द्वारा स्वयं प्रतिवर्ष नियत की जायेगी:–

(क) यह पूर्ण रूपयों में अभिव्यक्त की जायेगी;

(ख) इस प्रकार अभिव्यक्त की गई कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन यह उसके वेतन, पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश वेतन के आठ प्रतिशत से कम नहीं होगी और उसके वेतन, पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश वेतन से अधिक नहीं होगी।

(2) उप–नियम (1) में यथावर्णित अभिदाय अभिदायकर्ता द्वारा नियत किया जायेगा और कार्यालयाध्यक्ष को निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए सूचित करेगाः–

(क) उस अभिदायकर्ता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को शासकीय सेवा में था, उस दिन वेतन, पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश वेतन;

(ख) यदि उक्त दिनांक को अभिदायकर्ता पूर्ण वेतन के अलावा दूसरे अवकाश पर था तथा जिसने ऐसे अवकाश के दौरान अभिदाय नहीं करने का चयन किया है या उक्त दिनांक को वह निलम्बित रहा हो, तो उसका वेतन वह वेतन होगा जो वह कर्तव्य पर लौटने के प्रथम दिवस को प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ग) यदि उक्त दिनांक को अभिदायकर्ता भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था तो उसका वेतन वह वेतन होगा, जो कि वह कर्तव्य पर रहते भारत में प्राप्त करने का हकदार होता;

(घ) यदि अभिदायकर्ता पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में नहीं था, वेतन का उस दिन से हकदार हो जाता है जिस दिन वह निधि में शामिल होता है ;

(ड़) यदि अभिदायकर्ता प्रथम बार निधि में सम्मिलित होता है, तो उसका वेतन वह वेतन होगा, जिसका वह निधि में सम्मिलित होने की तिथि को हकदार था;

(च) यदि अभिदायकर्ता पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को विदेश सेवा में था, तो राशि चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिये अभिदाय के रुप में खजाने में उसके द्वारा जमा की जाएगी।

(3) इस प्रकार नियत अभिदाय की राशि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन में बढ़ौतरी या कटौती के कारण से निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए परिवर्तित नहीं की जाएगी कि अभिदायकर्ता :–

(क) वर्ष के दौरान अभिदाय किसी भी समय एक बार घटाने ;

(ख) वर्ष के दौरान अभिदाय में दो बार बढ़ौतरी करने ;

के लिए स्वतंत्र होगा।

परन्तु जब अभिदाय की राशि बढ़ाई जाती है तो यह वेतन या पूर्ण वेतन पर अवकाश वेतन से अधिक नहीं होगी और जब यह घटाई जाती है, तो यह उप–नियम (1) में विहित न्यूनतम अभिदाय से कम नहीं होगी;

(4) यदि अभिदायकर्ता मास के किसी भाग के लिए डयूटी पर है और उस मास की शेष अविध के लिए पूर्ण वेतन से भिन्न अवकाश पर है, तो अभिदाय उस मास के लिये नहीं किया जायेगा।

(5) यदि अभिदायकर्ता की मास के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी अभिदाय उस मास के लिए नहीं किया जाएगा।

**अभिदाय की वसूली।**

11. (1) जब अभिदायकर्ता का वेतन भारत में सरकारी खजाने से निकाला जाता है, तो अभिदाय की वसूली उसके वेतन बिलों से की जाएगी।

(2) अभिदायकर्ता के मामले में जो केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमित निकाय में विदेश सेवा में है, तो ऐसे निकाय द्वारा अभिदाय की वसूली की जाएगी और मांग ड्राफ्ट या खजाना चालान के माध्यम से महालेखाकार को अग्रेषित की जाएगी।

**ब्याज।**

12. (1) उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार अभिदायकर्ता के खाते में जमा पर ब्याज, ऐसी दर पर जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित ढंग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की जाए, भुगतान करेगी।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से निम्नलिखित रीति में जमा किया जाएगा :–

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि में से चालू वित्त वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर –बारह मास के लिए ब्याज;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर –चालू वर्ष के प्रारंभ से प्रत्याहरण के मास के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक ब्याज;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के बाद अभिदायकर्ता के खाते में जमा समस्त राशि पर जमा –चालू वर्ष के अंत तक जमा की तिथि से ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपयों में होगी, पचास पैसे अगले उच्च रुपये के रूप में गिने जायेंगे।

इसके सम्बन्ध में व्याख्या तत्काल संदर्भ के लिये **अनुबन्ध 'ञ'** पर है।

(3) जब किसी अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाती है तो उस पर ब्याज उप–नियम (2) के अधीन चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ से उस तिथि जिसको अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि के भुगतानयोग्य हो जाती है तक जमा किया जाएगा।

(4) वेतन में से वसूली के मामले में जमा की तिथि उस मास का प्रथम दिन माना जायेगा जिसमें वसूली की गई है और अभिदायकर्ता/उधार लेने वाले अभिकरण द्वारा अग्रेषित राशि की दशा में प्राप्ति के मास का प्रथम दिन माना जायेगा, यदि यह खजाने में जमा की जाती है या मास के दसवें दिन तक महालेखाकार द्वारा प्राप्त की गई है, किन्तु यदि यह राशि उस मास के दसवें दिन के बाद प्राप्त हुई है तो आगामी मास का प्रथम दिन माना जायेगा।

परन्तु जब किसी अभिदायकर्ता के नाम जमा राशि भुगतानयोग्य हो गई है, उस पर ब्याज इस नियम के अधीन केवल चालू वर्ष के प्रारम्भ की अवधि से या जमा करने की तिथि से तिथि जिसको अभिदायकर्ता की जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो, अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाने तक जमा करवाया जाएगा।

परन्तु यह और कि मामले में जब ऐसे निकाय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अभिदायकर्ता की राशि महालेखाकार को अग्रेषित की जाती है, तो जमा की तिथि मास की पहली तिथि मानी जायेगी, यदि यह राशि उस मास की 10 तारीख तक महालेखाकार को प्राप्त हुई है।

परन्तु यह और कि किसी मास का वेतन उसी मास के अंतिम कार्य दिवस को आहरित करके वितरित किया जाता है तो अभिदाय की वसूली के मामले में जमा की तिथि आगामी मास का प्रथम दिन होगा।

परन्तु यह और कि व्यतीत की गई निलम्बित अवधि के बाद पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अभिदायकर्ता से उसकी बहाली पर वसूल की गई अभिदाय की एकमुश्त राशि उस महीने की अभिदाय जिसमें यह खजाने में जमा करवाई गई है मानी जाएगी ।

(5) सेवा छोड़ने के मास के बाद छह मास की अवधि तक अतिशेष निधि पर महालेखाकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए छह मास की अवधि तुरन्त उत्तरवर्ती मास को छोडने के बाद अर्थात् जब अभिदायकर्ता की सेवा छोड़ने का मई मास का अंतिम दिन है, तो छह मास की अवधि की गणना जुलाई से दिसम्बर तक की न कि जून से नवम्बर तक की गिनी जानी चाहिए। यदि प्राधिकार पत्र महीने की पन्द्रह तारीख तक जारी किया गया है, तो ब्याज पूर्ववर्ती मास तक अनुज्ञात होगा और यदि प्राधिकार पन्द्रह तारीख के बाद जारी किया गया है तो ब्याज उस मास के लिए भी भुगतानयोग्य होगा तथा यह आगामी मास की पहली तारीख को या उसके बाद भुगतान–योग्य होगा । छह मास से आगे यदि प्राधिकार मास की पन्द्रह तारीख तक जारी किया है

तो ब्याज आगामी मास तक अनुज्ञात होगा तथा ब्याज उस मामले के लिए भी भुगतानयोग्य होगा यदि प्राधिकार पन्द्रह तारीख के बाद जारी किया जाता है तथा उसे पूर्ववर्ती मास या प्रथम तिथि के बाद भुगतान किया जाएगा। छह मास से ऊपर की अवधि के लिए ब्याज निम्न रुप से प्राधिकृत होगा .–

(क) दो वर्ष तक की अवधि के लिये प्रशासकीय विभाग के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद, कि अदायगी में विलम्ब अभिदायकर्ता या उस व्यक्ति जिसको ऐसा भुगतान किया जाना था, के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ है और प्रत्येक ऐसे मामले में प्रशासनिक विलम्ब शामिल है, की पूर्ण जांच–पड़ताल अधिकारी, जो ग्रुप–क के पद से नीचे का न हो, द्वारा की जायेगी और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो वह की जाएगी;

(ख) किसी अवधि तक वित्त विभाग के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद, कि अदायगी में विलम्ब अभिदायकर्ता या उस व्यक्ति, जिसको ऐसा भुगतान किया जाना था के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ है और प्रत्येक ऐसे मामले में प्रशासनिक विलम्ब शामिल है की पूर्ण जांच–पड़ताल एक अधिकारी जो ग्रुप–क के पद से नीचे का न हो, द्वारा की जायेगी, और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो वह की जायेगी ;

(ग) तथापि, यदि कोई न्यायालय आदेश देता है कि भुगतान की विलम्बित अवधि के लिए अभिदायकर्ता को ब्याज का भुगतान किया जाए तथा न्यायालय के आदेश अंतिम रूप से हो चुके हैं या सक्षम विधिक प्राधिकारी द्वारा यह मंत्रणा दी गई है कि अभिदायकर्ता को, लिखित में कारण अभिलिखित करने के बाद, ब्याज का भुगतान किया जाए तथा कार्यवाई, यदि कोई अपेक्षित है, अतिरिक्त संचयन तथा ब्याज के भुगतान से बचने के लिए इस उप नियम के (क) और (ख) के अनुसार, की जाए।

(6) ब्याज अभिदायकर्ता के खाते में जमा नहीं किया जाएगा, यदि वह महालेखाकार को अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से यह सूचित करता है कि वह ब्याज प्राप्त करना नहीं चाहता है, किन्तु यदि वह बाद में ब्याज के लिए मांग करता है यह उस वर्ष जिसमें वह उसकी मांग करता है के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा।

(7) अभिदायकर्ता के मामले में जहां यह पाया गया है कि प्रत्याहरण की तिथि को उसके खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकाल ली है, तो अधिक निकाली गई राशि बिना इस बात पर ध्यान दिये कि अधिक आहरण अग्रिम अथवा प्रत्याहरण या निधि से

अंतिम भुगतान द्वारा हुआ है, उसके द्वारा उस पर देय ब्याज सहित एक मुश्त वापिस किया जायेगा और ऐसा न करने पर अभिदायकर्ता के वेतन में से एकमुश्त कटौती द्वारा वसूली करने हेतु आदेश दिए जाएंगे। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि अभिदायकर्ता के वेतन के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसके वेतन में से मासिक किश्तों, जोकि वेतन के एक–तिहाई से अत्यधिक न हों, में तब तक की जाएगी, जब तक पूरी राशि ब्याज सहित वसूल न हो जाये। अंतिम भुगतान के मामले में ब्याज सहित अधिक आहरण की राशि की वसूली कर्मचारी के लम्बित देय, उपदान या अवकाश नकद से अन्यथा, वसूल की जायेगी, यदि सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, वसूली न्यायालय के माध्यम से यदि आवश्यक है, की जायेगी। इस उप–नियम के अधीन अधिक निकाली गई राशि पर ब्याज की वसूली की दर अनुज्ञा सम्बद्ध वर्ष (वर्षों) के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगी। अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया गया ब्याज सरकार के खाते में शीर्ष ''0049–ब्याज प्राप्तियां राज्य सरकार–800–अन्य ''प्राप्तियों'' के अधीन एक विशिष्ट उप शीर्ष ''निधि'' से अधिक निकासी पर ब्याज'' में जमा किया जायेगा। इसके अलावा सामान्य भविष्य निधि अभिदाय आदि में अधिक राशि सत्यापित करने वाले दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये और उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथापि यदि महालेखाकार द्वारा जारी सामान्य भविष्य निधि विवरणी में सरकारी कर्मचारी के खाते में अधिक जमा राशि दर्शायी गई हो तो सम्बन्धित विभाग द्वारा मामला महालेखाकार के ध्यान में लाया जाएगा।

(8) जब अभिदायकर्ता सरकारी सेवा से पदच्युत/निष्काशित कर दिया जाता है, लेकिन वह उसकी पदच्युति/निष्काशन के विरूद्ध अपील कर देता है तो उसके खाते में जमा राशि का तब तक भुगतान नहीं होगा, जब तक उसकी अपील पर निर्णय की पुष्टि करने के अंतिम आदेश जारी नहीं हो जाते। ब्याज, उस मास के पूर्ववर्ती मास तक मिलेगा, जिसमें ऐसे आदेश पारित किये गये हैं लेकिन सेवा त्यागने की तिथि, दिन जिसको अंतिम आदेश पारित किए गए हैं, मानी जाएगी।

(9) निधि में अभिदाय के लिये इन नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक वसूल की गई राशि पर कोई ब्याज अनुज्ञान्त नहीं होगा।

(10) ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो परिवार को त्याग कर भगोड़ा/लापता हो गया है, के परिवार को, उत्तरवर्ती मास, जिसमें परिवार पुलिस विभाग से यह रिपोर्ट प्राप्त कर लेता है कि पुलिस के सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारी का अता–पता नहीं है, के छह मास तक ब्याज दिया जा सकता है ;

परन्तु पुलिस विभाग से उक्त रिपोर्ट मिलने की तिथि से एक मास के भीतर परिवार/नामनिर्देशिती सामान्य भविष्य निधि की राशि के अंतिम भुगतान के लिये निर्धारित फार्म पर आवेदन करे। यदि परिवार/नामनिर्देशिती एक मास के भीतर आवेदन नहीं करता

है या किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण आवेदन किया जाता है तो अंतिम भुगतान के लिये परिवार/नामनिर्देशिती, आवेदन की विलम्बित अवधि के लिए (मास का अंश भी पूर्ण मास माना जायेगा) ब्याज का पात्र नहीं होगा।

(11) जब कोई अभिदायकर्ता मास के अंतिम दिन सेवानिवृत होता है, तो छह मास की अवधि की गणना ठीक उत्तरवर्ती मास को छोड़ने के बाद की जानी चाहिए, अर्थात् उदाहरण के लिये जब अभिदायकर्ता की सेवा का अंतिम दिन 31 मई है, तो छह मास की अवधि जुलाई से दिसम्बर तक गणना की जाये, न की जून से नवम्बर तक।

(12) ऐसे अभिदायकर्ता के मामले में, जिसकी मृत्यु सेवानिवृति के पूर्व मास के अंतिम दिन दोपहर से पूर्व हो जाती है, तो उसका सेवा त्यागने का दिन अगला दिन समझा जायेगा जैसा कि वित्तीय नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को मृत्यु होने के दिन का वेतन और भत्ता दिया जा सकता है, चाहे मृत्यु उस दिन दोपहर पूर्व हुई हो। इसलिए ऐसे सभी मामलों में छह मास की अवधि उत्तरवर्ती मास, जिसमें अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, के दूसरे मास से गिनी जाएगी।

परन्तु परिवार/नामनिर्देशिती सामान्य भविष्य निधि की राशि के अंतिम भुगतान के लिये सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से एक मास के भीतर विहित प्ररूप में आवेदन करेगा। यदि परिवार/नामनिर्देशिती एक मास के भीतर आवेदन पत्र नहीं भेजता है या किसी भी रूप में अधूरा आवेदनपत्र भेजता है, तब परिवार/नामनिर्देशिती अंतिम भुगतान के लिये आवेदन पत्र विलम्ब से भेजने की अवधि (मास के अंश को भी पूर्ण मास माना जायेगा) के ब्याज का पात्र नहीं होगा।

(13) सेवा त्यागने के मामले में, अभिदायकर्ता को सामान्य भविष्य निधि शेष के ब्याज सहित अंतिम भुगतान इस नियम के उप–नियम (5) के प्रावधानों के अनुरूप भुगतान किया जायेगा लेकिन अभिदायकर्ता को सेवा त्यागने के एक मास के भीतर विहित प्ररूप में अंतिम भुगतान के लिये आवेदन करना होगा। अभिदायकर्ता को अंतिम भुगतान सभी तरह से महालेखाकार को पूर्ण आवेदनपत्र मिलने की तिथि से दो मास के भीतर किया जायेगा और जिसमें अंतिम भुगतान किया जाये, उसके पूर्ववर्ती मास तक ब्याज देय होगा। यदि अभिदायकर्ता सेवा त्यागने की तिथि से दो मास के भीतर आवेदन नहीं करता है या अधूरा आवेदन करता है तब वह अंतिम भुगतान के लिये आवेदन देरी की अवधि (मास के अंश को पूर्ण मास माना जायेगा) के लिये ब्याज का पात्र नहीं होगा।

(14) अधिवर्षिता पर या अधिवर्षिता के ईलावा सेवानिवृति के मामले में, अभिदायकर्ता का अंतिम सामान्य भविष्य निधि शेष का अंतिम भुगतान इस नियम के उप–नियम (5) के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा किन्तु अभिदायकर्ता को सेवानिवृत्ति की तिथि से एक मास के भीतर विहित प्ररूप मे अंतिम भुगतान के लिए आवेदन करना होगा। अभिदायकर्ता को सभी तरह से महालेखाकार को पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से दो मास के

भीतर अंतिम भुगतान किया जायेगा और जिस मास में अंतिम भुगतान किया जाता है उसके पूर्ववर्ती मास तक ब्याज अनुज्ञेय होगा । यदि अभिदायकर्ता सेवानिवृति तिथि से एक मास के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है या किसी भी रूप में अधूरा आवेदन प्रस्तुत करता है तो वह अंतिम भुगतान के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की देरी की अवधि (मास के अंश को पूरा मास माना जाएगा) के लिए ब्याज का पात्र नहीं होगा । ये प्रावधान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत होने वाले उस अभिदायकर्ता को भी लागू होंगे जो सेवानिवृति की तिथि के बाद अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन करता है।

**अग्रिम प्रदान करने के लिए सामान्य सिद्धान्त।**

13. (1)निधि अभिदायकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने या, यदि वह सेवानिवृत्ति तक जीवित रहता है, तो उसको तथा उसके परिवार को वृद्धावस्था में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के एकमात्र उद्देश्य से अभिकल्पित की गई है। अभिदायकर्ता के सामान्य संचयो से किसी भी तरह का हस्तक्षेप, इन उद्देश्यों से कम करता है और निधि के सही उद्देश्यों को खत्म करता है। नियम 15 मात्र अग्रिम देने की अनुमति देता है और इस स्कीम में वास्तविक उद्देश्यों से विचलित होने का एक अपवाद है और जब तक इसकी सही रूप से व्याख्या नहीं की जाती है तब तक यह खतरा है कि अभिदायकर्ता इस निधि को सामान्य बैंक खाता मानने लगेंगे जिसका अस्तित्व उन्हें प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले व्यवहार की तरह जीवन की सामान्य घटनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समझदारी से विमुक्त करेगा। यदि इस प्रवृति को प्रोत्साहित किया जाता है तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि मितव्ययता निरूत्साहित होगी और अभिदायकर्ता को ऐसे समय के लिये घटा हुआ खाता मिलेगा जब उसे या उसके परिवार के लिये अधिक लाभदायक होता। स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी इसलिए निधि को सस्ते ऋण खाते के रूप में प्रयोग करने के किसी भी प्रयास का और नियम 15 के अप्रत्याशित जरूरी आवश्यकताओं के उस प्रावधान के आपवादिक स्वरूप को क्रियान्वित करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दूरदर्शी विवाहित व्यक्ति, उदाहरण के लिये, डाक्टर के बिल की पूर्ति अपने संसाधनों से करने के लिये तैयार रहे और केवल ऐसी स्थिति में जब खर्च अपवाद स्वरूप लम्बा चले या आवश्यकता गम्भीर और आकस्मिक है, तभी इस प्रयोजन के लिये निधि का प्रयोग करने की सोचे।

(2) उन्हीं कारणों के लिए सगाई, शादी या दाह संस्कार खर्चों के मद्दे पर अग्रिम के लिये भेजे गये आवेदन के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक छानबीन की जानी चाहिए। जहां धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार रस्मी खर्च अपरिहार्य है, फिर भी इसकी मात्रा परिवार के साधनों से सीमित होनी चाहिए और किसी भी अभिदायकर्ता को निधि में जमा किए गए ऐसे खर्चों को बढ़ाने में समर्थ नहीं होना चाहिए। जहां दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां

अपरिहार्य रस्मी खर्चों के लिये निधि से अग्रिम दिया जा सकता है, लेकिन केवल दिखाने के लिये बड़े पैमाने पर ऐसे खर्चों के लिये नहीं दिया जा सकता।

(3) सभी स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी, निधि से अग्रिम स्वीकृत कराते समय अभिदायकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखेंगे और किस्तों की संख्या ऐसे रीति में निर्धारित करेंगे कि वास्तविक सेवानिवृत्ति के छह मास पूर्व अग्रिम की सम्पूर्ण राशि की वसूली संभव हो सके। कोई अग्रिम सेवानिवृत्ति के छह मास की शेष अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

**निधि से आहरण।**

14. निधि से आहरण निम्न प्रकार से नीचे दर्शाए गए अग्रिम, आहरण तथा अन्तिम भुगतान के रूप में अनुज्ञेय होगा :

(i) **"अग्रिम"** से अभिप्राय है नियम 15 में वर्णित किन्हीं प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए तथा नियम 16 में वर्णित शर्तों के अनुसार वापस योग्य अग्रिम के रूप में अभिदायकर्ता को स्वीकृत की गई राशि तथा मासिक किस्तों मे वापस किये जाने वाली इस प्रकार अग्रिम राशि जो स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा नियत की जाये।

(ii) **"प्रत्याहरण"** से अभिप्राय है नियम 18 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये और नियम 19 से नियम 23 में वर्णित शर्तों के अनुरूप न वापस किये जाने वाली अग्रिम राशि के रूप में अभिदायकर्ता को स्वीकृत की गई राशि। इस प्रकार स्वीकृत की गई राशि जो अभिदायकर्ता द्वारा वापस किये जाने के लिए आपेक्षित नहीं है।

(iii) **"अंतिम भुगतान"** से अभिप्राय है नियम 24 में वर्णित अर्थात् सेवा त्यागने पर, सेवानिवृत्ति पर, सेवा के दौरान मृत्यु या लापता होने पर अभिदायकर्ता के खाते में संचयों के अंतिम निर्धारण के रूप में अभिदायकर्ता को अंतिम रूप में भुगतानयोग्य राशि।

**अग्रिम प्रदान करने के लिये प्रयोजन।**

15. कार्यालयाध्यक्ष निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के लिये समुचित स्वीकृत प्राधिकारी है जैसा कि अनुबन्ध झ में दर्शाया गया है:–

(1) अभिदायकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यक यात्रा व्यय सहित, बीमारी, प्रसूति, विकलांगता से सम्बन्धित खर्चों के भुगतान करने ;

(2) अभिदायकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति के निम्न मामलों उच्च शिक्षा के खर्च जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय,सहित की लागत को पूरा करने ;

(क) उच्च विद्यालय स्तर के बाद भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, संव्यावसायिक या व्यावसायिक कोर्स के लिए शिक्षा हेतु;

(ख) उच्च विद्यालय स्तर के बाद भारत में किसी मैडीकल, इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी या विशेषज्ञता कोर्स के लिये, बशर्ते–कि अध्ययन का कोर्स दो वर्ष से कम न हो; और

(ग) भारत सरकार में या किसी राज्य सरकार में व्यावसायिक कोर्स, प्रशासनिक या रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा या किसी अनुमोदित संस्था द्वारा संचालित कोचिंग कोर्सों में उपस्थित होने हेतु ।

(3) अभिदायकर्ता की हैसियत के उचित पैमाने पर उसके परिवार के सदस्यों या उस व्यक्ति जोकि उस पर वास्तविक रूप से आश्रित है, के अनिवार्य खर्चों की पूर्ति हेतु जोकि परम्परागत रीति रिवाजों द्वारा अंशदाता ने सगाई, शादियों, दाह संस्कारों या अन्य समारोहों के सम्बन्ध में जीवन में एक बार किया जाता है । शादी में अभिदायकर्ता की स्वयं की शादी भी सम्मिलित है और समय–समय पर किये जाने वाले व्यक्तिगत धार्मिक समारोह जैसे कि जागरण, अखण्ड पाठ, रामायण पाठ, जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ आदि इसमें सम्मिलित नहीं हैं ।

(4) अभिदायकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति द्वारा या उनके विरूद्ध संस्थापित विधिक कार्यवाहियों की लागत को पूरा करने ;

(5) अभिदायकर्ता के बचाव की लागत पूरा करने जहां वह कार्यालय द्वारा दुराचरण अभिकथित के सम्बन्ध में जांच में अपना बचाव करने के लिये विधिक व्यवसायी को नियुक्त करता है ;

(6) घरेलू वस्तुओं की खरीद के लिये जैसे कि टैलीविजन, वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर, सोलर हीटर, ऊर्जा उत्पादन सैट, इनवरटर्ज और कम्प्यूटर आदि ।

**अग्रिम की स्वीकृति के लिए शर्ते ।**

16. (1) खण्ड (1) से (5) तक में वर्णित प्रयोजनों के लिये अभिदायकर्ता को अधिकतम छह मास के वेतन की राशि या निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, और नियम 15 के खण्ड (6) में वर्णित प्रयोजनों के लिये छह मास का वेतन या निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत या वस्तु की वास्तविक लागत, जो 20000/– रूपए से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो, स्वीकृत किया जायेगा।

(2) नियम–15 में दिये गये प्रयोजनों में से किसी के लिये निधि में से अभिदायकर्ता को एक समय में केवल एक ही अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा।

(3) ऐसे मामले में, जब प्रथम अग्रिम अनुज्ञेय सीमा तक नहीं लिया है, तो उसी स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय राशि और प्रथम अग्रिम के लिये स्वीकृत राशि के अन्तर के बराबर तक की राशि प्रथम अग्रिम के प्रत्याहरण की तिथि से छह मास की अवधि के बाद दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) अगला अग्रिम तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किश्त का पुनः भुगतान नहीं करता है।

(5) राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर नियुक्त सभी व्यक्ति प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अपने अपने सम्बन्धित पैतृक विभागों के नियमों द्वारा शासित रहेंगे तथापि इस नियम के अधीन सम्बंधित पैतृक विभाग अग्रिम स्वीकृत करने के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे।

(6) अभिदायकर्ता को उसी प्रयोजन के लिये, जिसके लिये उसने नियम 18 के अधीन प्रत्याहरण लिया है, साथ–साथ स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) अभिदायकर्ता को खर्च करने बाद भी, यदि वह दो मास के उचित समय के भीतर अग्रिम स्वीकृति के लिये आवेदन करता है तो निधि से अग्रिम दिया जा सकता है।

(8) सरकारी कर्मचारी जो निलम्बित या असाधारण अवकाश पर है उसे अग्रिम दिया जा सकता है । अग्रिम राशि की स्वीकार्यता की गणना, सरकारी कर्मचारी निलम्बन/असाधारण अवकाश के तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था, वेतन के आधार पर की जाएगी ।

(9) अभिदायकर्ता को शिक्षा प्रयोजन के लिये अग्रिम, परिशिष्ट(ख) में यथावर्णित पाठयक्रमों के लिये अनुमोदित संस्थानों या राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों जिनमें भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश के संस्थान भी शामिल हैं, स्वीकार्य होगा।

(10) सन्तान/सन्तानों के शादी के लिये पुत्र के मामले में, 21 वर्ष की आयु होने से पूर्व और पुत्री या अन्य आश्रित महिला की दशा में, 18 वर्ष की आयु होने से पूर्व अभिदायकर्ता को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(11) नियम 15 के खण्ड (4) में वर्णित प्रयोजन के लिए उस अभिदायकर्ता को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिसने सरकार के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में विधिक कार्यवाही संस्थित की है।

(12) अभिदायकर्ता, जिसने अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन–पत्र दे दिया है और उसे महालेखाकार को अग्रेषित किया जा चुका है और नियम 15 के खण्ड (1) से (6) में वर्णित प्रयोजनों के लिये निधि से किसी अग्रिम लेने के लिए और आवदेन करता है तो केवल महालेखाकार की पूर्व सहमति के प्राप्त होने पर अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा जो यथाशीघ्र सम्भव अग्रिम की व्यवस्था करेगा।

(13) अभिदायकर्ता एक मास के भीतर अग्रिम का उपयोग करेगा और तदानुसार उपयोग प्रमाण–पत्र भी देगा। उपयोग प्रमाण पत्र न देने या अग्रिम का दुरूपयोग करने के मामले में, नियम 26 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(14) कार्यालयाध्यक्ष के मामले में अग्रिम, उसके बाद उच्च प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

**अग्रिम (अग्रिमों) की वसूली ।**

17. (1) अभिदायकर्ता से अग्रिम की वसूली समान मासिक किस्तों की ऐसी संख्या जो स्वीकृतिकर्ता निर्दिष्ट करे में की जायेगी, लेकिन किस्तों की ऐसी संख्या 12 से कम और 36 से अधिक नहीं होगी। यद्यपि, अभिदायकर्ता अग्रिम की वसूली के लिये 12 किस्तों से कम किस्तों का चयन कर सकता है। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी किस्तों की संख्या ऐसी रीति में निर्धारित कर सकता है कि अभिदायकर्ता के सेवानिवृत होने की तिथि से छह मास पूर्व अग्रिम की पूर्ण वसूली हो जाये।

(2) वसूली उस मास के आगामी मास से आरम्भ की जाऐगी जिस मास में अग्रिम निकाला गया था और उसे अंशदाता के खाते में जमा कराया जायेगा । अंशदाता एक मास में एक से अधिक किस्त चुकाने का चयन कर सकता है।

(3) जब अभिदायकर्ता को निर्वाह भत्ता मिल रहा है तो उसकी लिखित सहमति के बिना वसूली नहीं की जायेगी। फिर भी, उसकी बहाली पर, यदि उसे पूरा वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाता है तो अग्रिम की वसूली एकमुस्त में उसके बकायों में से की जा सकती है।

(4) अभिदायकर्ता से वसूली नहीं की जायेगी, यदि वह अवकाश पर है, जिसमें उसे कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता या अवकाश वेतन आधे वेतन के बराबर या कम मिलता है। फिर भी, अभिदायकर्ता की सहमति से वसूली की जा सकती है।

(5) नियम 16 के उप नियम (3) के अधीन यदि एक अभिदायकर्ता को दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया गया है, तो वसूली के प्रयोजन के लिए उसे अलग माना जाना चाहिए।

**प्रत्याहरण के लिये प्रयोजन ।**

18. यथाअन्यथा उपबन्धित के सिवाय विभागाध्यक्ष निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिये समुचित स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी है :–

(1) अभिदायकर्ता के निवास के लिये गृह निर्माण या उपयुक्त मकान या निर्मित फ्लैट अर्जन करने के लिये जिसमें स्थल की लागत या आवास बोर्ड, आवास निर्माण समिति और राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/केन्द्रशासित सरकार द्वारा अनुमोदित विकास अभिकरण द्वारा आबंटित प्लाट या फ्लैट के लिए कोई भुगतान भी शामिल है ;

(2) प्रधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से खुले बाजार से आवासीय प्रयोजनों के लिये निर्मित मकान/फ्लैट के अर्जन के लिये ;

(3) अभिदायकर्ता के निवास के लिये मकान निर्माण या उपयुक्त मकान या फ्लैट के अर्जन के लिये स्पष्ट रूप से ऋण की मद्दे पर बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिये;

(4) अभिदायकर्ता द्वारा अपने निवास के लिये मकान बनाने के लिये स्थल की खरीद के लिये या इसी प्रयोजन के लिये स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मददे् पर बकाया के पनुर्भगतान के लिये ;

(5) अभिदायकर्ता द्वारा पहले से ही स्वामित्व या अर्जित वाले मकान या फ्लैट का पुनः निर्माण, उसमें परिवर्धन या परिवर्तन के लिए ;

(6) पैत्रिक मकान या सरकार के सहायता या ऋण से बनाये गये मकान का नवीनीकरण, परिर्वधन, परिवर्तन या रखरखाव के लिये;

(7) बेरोजगार बच्चों के भुमि व्यवस्थापन के लिये वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्जित करने या निर्माण करने या व्यवसाय स्थापित करने के लिये ;

(8) अभिदायकर्ता के किसी भी सन्तान की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ;

(9) अभिदायकर्ता की लड़की (लड़कियों) या अभिदायकर्ता पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी अन्य महिला रिश्तेदार की शाादी से सम्बधित खर्चों को करने के लिये ;

(10) अभिदायकर्ता के सन्तान (सन्तानों) की शादी से सम्बधित खर्चों के लिये;

(11) अभिदायकर्ता की स्वयं की शादी से सम्बधित खर्चों के लिये ;

(12) मोटर वाहन(वाहनों) अर्थात् मोटर कार और मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिये ;

(13) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर 90 प्रतिशत प्रत्याहरण।

**टिप्पणः–** अभिदायकर्ता, जिसने अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन–पत्र दे दिया है और उसको महालेखाकार को अग्रेषित किया जा चुका है और नियम 15 के खण्ड (1) से (13) में वर्णित प्रयोजनों के लिये निधि से किसी प्रत्याहरण को लेने के लिए और आवेदन करता है, तो प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल महालेखाकार की पूर्व सहमति प्राप्त होने पर की जाएगी, जो यथासंभव शीघ्र अग्रिम की व्यवस्था करेगा।

**गृह निर्माण के लिये प्रत्याहरण की शर्तें ।**

19. (1) नियम 18 के खण्ड (1) से (7) में वर्णित प्रयोजनों के लिये निधि से प्रत्येक प्रत्याहरण के सामने निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करना होगा। तथापि सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान एक ही प्रयोजन के लिये केवल एक बार प्रत्याहरण अनुमत किया जायेगा। नियम 18 के खण्ड (1) से (4) में यथावर्णित उद्देश्यों को उसी प्रयोजन के रूप में माना जायेगा, जिसके लिये पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण होने के उपरांत अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत

या वास्तविक लागत तक, जिसमें पंजीकरण शुल्क जो भी कम है, भी शामिल है, प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जा सकता है।

(2) नियम 18 के खण्ड (1) से (7) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी एक प्रयोजन के लिये निधि से प्रत्याहरण स्वीकृत के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करते हुए, यह सुनिश्चित करना होगा कि –

(i) अभिदायकर्ता ने पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है;

(ii) पहले से ही स्वामित्व या अर्जित की गई भूमि के भूखण्ड पर गृह निर्माण के लिये अग्रिम हेतु आवेदन किया गया हो, ऐसी भूमि जिस पर गृह निर्माण किया जाना है, उस पर अभिदायकर्ता का व्यक्तिगत रूप से या उसके/उसकी पत्नी/पति के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व का निर्विवाद हक है; यदि भूखण्ड जिस पर गृह निर्माण किया जाना है, पट्टे पर है, तो पट्टे की शर्तें ऐसी होनी चाहिएं जो उसे गृह निर्माण अग्रिम के लिये हकदार बनाएं ;

(iii) खुले बाजार से निर्मित मकान की खरीद के मामले में, यह सभी तरह के भारों से मुक्त होना चाहिए ;

(iv) यदि निम्नलिखित के लिये प्रत्याहरण हेतु आवेदन किया गया है :

(क) पहले से ही स्वामित्व या अर्जित मकान में परिवर्धन और परिवर्तन करने के लिये; या

(ख) मकान की खरीद या पुनः निर्माण या पहले से ही स्वामित्व या अर्जित मकान में परिवर्धन और परिवर्तन करने के लिये पहले स्पष्ट रूप से ऋण की बकाया राशि के पुनः भुगतान के लिये, अभिदायकर्ता का पहले से ही स्वामित्व वाले या अर्जित भूमि और/या मकान पर व्यक्तिगत रूप से या उसकी/उसके पत्नी/पति जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त रूप से स्वामित्व का निर्विवाद हक होना चाहिए ;

(v) जहां अभिदायकर्ता ने विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड या राज्य द्वारा अनुमोदित मकान निर्माण समिति के माध्यम से स्थल या मकान या फ्लैट की खरीद या निर्मित फ्लैट के लिये किस्तों में अदायगी करनी है, तो उसे किस्त की अदायगी करने के समय, चाहे किस्तों की संख्या कितनी ही

क्यों न हो, प्रत्याहरण की स्वीकृति मिलेगी बशर्ते कि अग्रिम की कुल राशि पहली किस्त स्वीकृत करते समय अभिदायकर्ता के निधि में जमा खाता मे राशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो।

(vi) यदि किसी शहर/कस्बे या किसी नगरीय सम्पदा की नगरपालिका सीमाओं के भीतर मकान का निर्माण/पुनः निर्माण किया जाना है, तो अभिदायकर्ता से वास्तुकार (वास्तुकारों) द्वारा सम्पक् रूप से प्रमाणित अनुमानों सहित स्थल नक्शा की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जानी चाहिए और यदि मकान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किया जाना है, तो राजस्व प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि भूमि/सम्पत्ति पर अभिदायकर्ता का निर्विवाद हक है और यह गांव के 'लाल डोरा' के भीतर आता है। यद्यपि अभिदायकर्ता को अनुमानों सहित वास्तुकार या अनुमोदित भवन ठेकेदार या सिविल इन्जीनियर द्वारा सम्पक् रूप से प्रमाणित स्थल नक्शा देना होगा ;

(vii) अभिदायकर्ता, जिसे निधि से धन के प्रत्याहरण की स्वीकृति दी गई है, वह स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रत्याहरण की तिथि से छह मास के भीतर संतुष्ट करेगा कि जिस प्रयोजन जिसके लिए धन का प्रत्याहरण किया था, के लिए धन का उपयोग किया गया है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहरण की गई पूर्ण राशि का तुरन्त पुनः भुगतान एकमुश्त राशि मे करना होगा, ऐसा पुनः भुगतान न करने की स्थिति में, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी इसकी वसूली उसके वेतन से या तो एकमुश्त राशि वसूली करने या स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मासिक किस्तों ऐसी संख्या में वसूल करने के आदेश जारी करेगा।

परन्तु इस उप–नियम के अधीन प्रत्याहरण के पुनः भुगतान करने से पूर्व प्रभावी है, तो अभिदायकर्ता को संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर लिखित रूप में स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा कि क्यों न पुनभुगतान को प्रभावी बनाया जाए; और यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है या अभिदायकर्ता द्वारा निर्धारित तीस दिन की उक्त अवधि में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो

स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी वसूली को प्रभावी बनाएगा और अभिदायकर्ता को नियम 18 के खण्ड (1) से (7) तक के अधीन किसी भी प्रत्याहरण के लिए नियम 26 के उपबन्धों के अनुसार पांच वर्ष के लिए वंचित भी कर दिया जायेगा।

(viii) नियम 18 के खण्ड (5) मे यथा दिये गये प्रयोजन के लिये, अभिदायकर्ता को, पहले प्रत्याहरण की स्वीकृति के पांच वर्षों के उपरांत अभिदायकर्ता की निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत या अनुमानित लागत, जो भी कम है, के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जायेगी;

(ix) नियम 18 के खण्ड (6) में यथा दिये गये प्रयोजन के लिये अभिदायकर्ता को, उसके पैत्रिक मकान, जिसमें उसका विनिर्दिष्ट हिस्सा है, के रख–रखाव के लिये पांच वर्ष के सेवाकाल के उपरांत और इस उप नियम के खण्ड (viii) के अधीन पहले प्रत्याहरण के दस वर्ष के बाद अभिदायकर्ता की निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत या अनुमानित लागत, जो भी कम है, के प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी ;

(x) अभिदायकर्ता को नियम 18 के खण्ड (1) से (4) तक में वर्णित प्रयोजनों के लिये नया प्रत्याहरण करने की भी अनुमति दी जायेगी चाहे उसने उक्त प्रयोजनों के लिये पहले ही सामान्य भविष्य निधि से प्रत्याहरण या सरकार से ऋण लिया हुआ है और वह उक्त निर्मित मकान/फ्लैट/प्लाट का निपटान करने का इरादा रखता है/निपटान कर दिया है। नये प्रत्याहरण की ग्राह्यता अभिदायकर्ता के खाते में जमा कुल राशि, जिसमें पहले से ही प्रत्याहरण की गई राशि को शामिल करके इस प्रकार से प्राप्त की गई राशि का 10 प्रतिशत और सामान्य भविष्य निधि खाते में चालू उपलब्ध बकाया में से प्रत्याहरण के रूप में पहले प्रयोजन के लिए पहले राशि घटाकर निधार्रित की जाएगी।

परन्तु प्लाट और उस पर निर्मित किये जाने वाले मकान या खरीदे जाने वाले फ्लैट या निर्मित मकान की लागत, प्लाट/फ्लैट/निर्मित मकान की बिक्री से प्राप्त जिसमें अब प्रत्याहरण की मांग की गई राशि शामिल है, से अधिक होनी चाहिए। खर्चे की लागत में पंजीकरण प्रभार भी

शामिल है। इस प्रयोजन के लिए मुख्तारनामें पर की गई खरीद को नहीं विचारा जायेगा ;

नये प्रत्याहरण के लिये ग्राह्यता राशि का परिकलन निम्न अनुसार किया जायेगाः–

**उदाहरण :** श्री "भ" ने निर्मित मकान/फ्लैट/प्लाट की खरीद के लिये सामान्य भविष्य निधि से 2 लाख रुपये की राशि पहले से प्रत्याहरण कर ली थी। अभिदायकर्ता के खाते में इस समय अतिशेष 6 लाख रुपये हैं। अब उसने 3 लाख रूपये की लागत पर अपने पहले वाले मकान के निपटान के बाद 6 लाख रूपये की लागत पर कोई दूसरा निर्मित मकान/फ्लैट/प्लाट की खरीद के लिए 3 लाख रूपये की नई प्रत्याहरण राशि के लिए आवेदन किया है।

| | | (राशि रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | पहले लिया गया प्रत्याहरण | 2.00 लाख |
| 2. | सामान्य भविष्य निधि में जमा (वर्तमान) | 6.00 लाख |
| 3. | कुल (1+2) | 8.00 लाख |
| 4. | खाना 3 की राशि का 10 प्रतिशत | 0.80 लाख |
| 5. | ग्राह्य प्रत्याहरण (खाना 2 – खाना 4) | 5.20 लाख |
| 6.. | पहले से ही किया गया प्रत्याहरण घटाकर (कालम 1) | 2.00 लाख |
| 7. | अब ग्राह्य प्रत्याहरण ( खाना 5 –खाना 6) | 3.20 लाख |

उप नियम (2) के खण्ड (i) से (iv) में वर्णित प्रयोजनों के लिये श्री 'भ' को 3,20,000/– रुपये तक स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(xi) नियम 18 के खण्ड (7) में यथा दिये गये प्रयोजन के लिये पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद, प्रत्येक बच्चे के लिये अभिदायकर्ता को जमा राशि का 50 प्रतिशत तक प्रत्याहरण करने की अनुमति दी जायेगी। प्रत्याहरण तभी अनुज्ञेय होगा, यदि बेरोजगार सन्तानों जिनमें अविवाहित लड़कियां भी शामिल हैं, की आयु 18 वर्ष हो गई है।

(xii) अभिदायकर्ता जिसे नियम 18 के खण्ड (1) से (7) के अधीन निधि में उस की जमा राशि में से प्रत्याहरण करने की अनुमति दी गई है, वह प्रत्याहरण की राशि से निर्मित मकान या अर्जित या खरीदे गये मकान स्थल के स्वामित्व का परित्याग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा, चाहे यह बिक्री के रूप में हो, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी रखने को छोड़कर), उपहार, विनिमय या दूसरे तरीके से हो :

परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिये अनिवार्य नहीं होगी–

(क) तीन वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये मकान या मकान–स्थल; या

(ख) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम जिसमें भारत सरकार या काई अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं, जो नये मकान के निमार्ण के लिए या वर्तमान मकान में परिवर्धन करने या परिर्वतन करने या पलाट खरीदने के लिए अग्रिम ऋण देता है, के पास गिरवी रखा जाये ;

(xiii) निधि से कुल प्रत्याहरण जिसमें सरकार से लिया गया मकान निर्माण अग्रिम भी शामिल है, 18 लाख रुपये या मकान निर्माण अग्रिम के लिये समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत सीमा से अधिक नहीं होगा ;

(xiv) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति उनसे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

**उच्चतर शिक्षा हेतु प्रत्याहरण के लिए शर्तें ।**

20. नियम 18 के खण्ड (8) के अधीन प्रारम्भिक प्रवेश के लिये प्रत्येक संतान के लिये अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक या सम्बन्धित संस्था से प्रमाण–पत्र के अनुसार वांछित वास्तविक राशि, जो भी कम है, और आगामी शैक्षणिक वर्षों के लिये प्रत्येक सन्तान के लिए अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या संस्था द्वारा वांछित वास्तविक राशि, जो भी कम है, के प्रत्याहरण की निम्न शर्तों के अधीन रहते हुये अनुमति दी जायेगीः–

(i) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु; और हाई स्कूल स्तर के बाद भारत मे मैडीकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी या विशेष कोर्स हेतु,; बशर्तेकि पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम न हो;

(ii) सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों के सम्बंध मे प्रत्याहरण अनुज्ञेय होगा। अनुमोदित पाठ्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में दिया गया है;

(iii) ऐसे मामले में जहां आगामी वर्षों में भुगतान समेस्टर आधार पर किया जाना है, वहां अभिदायकर्ता को वर्ष में दो बार उसके खाते में जमा राशि का 25 प्रतिशत तक या सम्बद्ध संस्था द्वारा प्रमाणित अनुमानित खर्च, जो भी कम है, के प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा;

(iv) अभिदायकर्ता प्रत्याहरण राशि का एक मास के भीतर उपयोग करेगा और तदनुसार उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा ;

(v) निधि से प्रत्याहरण की गई कोई भी राशि जो अभिदायकर्ता द्वारा उस प्रयोजन के लिये वास्तविक वांछित राशि से अधिक पाई जाती है, तो निधि में तुरन्त पुनः संदत की जाएगी;

(VI) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

**विवाह हेतु प्रत्याहरण के लिए शर्ते ।**

21. नियम 18 के खण्ड (9), (10) और (11) के अधीन प्रत्याहरण अभिदायकर्ता की प्रत्येक लड़की या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य महिला नातेदार; अभिदायकर्ता के प्रत्येक लड़के के विवाह और स्वयं के विवाह के लिये अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि के 75 प्रतिशत तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति होगी :–

(i) लड़की या आश्रित किसी अन्य महिला की आयु 18 वर्ष से और लड़के के मामले में आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए, लड़की/आश्रित महिला और पुत्र के विवाह के लिये, अग्रिम के लिये आवेदन करते समय अभिदायकर्ता द्वारा आयु का आवश्यक सबूत देना अपेक्षित होगा। अभिदायकर्ता की आयु स्वयं की शादी के प्रयोजन के लिए, महिला की दशा में 18 वर्ष तथा पुरुष की दशा में 21 वर्ष से कम नहीं होगी;

(ii) यदि दो या से अधिक विवाह साथ–साथ सम्पन्न किये जाते हैं, तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में लिये अनुज्ञेय राशि का निर्धारण इस तरीके से होगा कि मानों एक के बाद दूसरे विवाह के लिये अलग से अग्रिम स्वीकृत किए जाते हैं ;

(iii) एक ही विवाह के सम्बन्ध में अभिदायकर्ता या तो इस नियम के अधीन या नियम 15 के अधीन धन का प्रत्याहरण कर सकता है;

(iv) अभिदायकर्ता जो नियम 15 के अधीन अग्रिम राशि पत्याहरण करता है, तो वह स्वेच्छा से कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित लिखित रूप में अनुरोध करके इस नियम में अधिकथित शर्तो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टी होने पर बकाया शेष को अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तित करवा सकता है;

(v) अभिदायकर्ता को प्रत्याहरण की मास जिसमें वास्तव में शादी होनी है, के पर्वूवर्ती तीन मास से पहले अनुमति नहीं दी जा सकती;

(vi) अभिदायकर्ता विवाह की तिथि से एक मास के भीतर या यदि वह अवकाश पर है तो, अवकाश से वापसी पर एक मास के भीतर इस आशय का एक प्रमाण–पत्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि निकाले गये धन का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया गया है, जिसके लिये आशियत था। यदि अभिदायकर्ता अपेक्षित प्रमाण–पत्र देने में असफल रहता है या यदि निकाली गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न पर किया गया है, जिसके लिए स्वीकृति दी गई थी, तो अभिदायकर्ता द्वारा पूरी राशि एकमुश्त निधि में तुरन्त पुनः भुगतान करनी होगी और यदि वह इस प्रकार करने में असफल रहता है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा आदेश किया जायेगा कि उसके वेतन से या तो एकमुश्त या ऐसी मासिक किस्तों में वसूली की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएं ;

(vii) सगाई रस्म और विवाह रस्म को अलग–अलग माना जाये। नियम 15 के अधीन यदि अभिदायकर्ता ने सगाई रस्म के लिये अग्रिम ले लिया है तो भी विवाह के प्रयोजन के लिये निधि से प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी ;

(viii) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

**मोटर वाहन (वाहनों) की खरीद हेतु प्रत्याहरण के लिए शर्तें ।**

22. नियम 18 के खण्ड (12) के अधीन वाहन अर्थात् मोटर कार और मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिए प्रत्याहरण अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत तक या वाहन की लागत, जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगाः–

(i) अभिदायकर्ता का वेतन मोटर कार की खरीद के लिये प्रत्याहरण के मामले में प्रतिमास 9750 रुपये या से अधिक या जो सरकार द्वारा समय–समय से विनिश्चित किया जाए, होना चाहिए। मोटर साइकिल,

स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिये प्रत्याहरण के लिये न्यूनतम वेतन की कोई शर्त नहीं है ;

(ii) अभिदायकर्ता की कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए ;

(iii) अभिदायकर्ता को सेवाकाल के दौरान केवल एक बार मोटर कार और मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिये प्रत्याहरण की स्वीकृति दी जा सकती है ;

(iv) अभिदायकर्ता को इसी प्रयोजन के लिये सरकार से लिये गए वाहन की लागत और ऋण की लागत के अन्तर तक की राशि का निधि से प्रत्याहरण की स्वीकृति दी जा सकती है ;

(v) नियम 18 के खण्ड (12) में वर्णित प्रयोजनों के लिये सरकार या बैंक से स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के लिये अभिदायकर्ता को निधि से प्रत्याहरण भी अनुज्ञात किया जा सकता है ;

(vi) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

**अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व 90 प्रतिशत प्रत्याहरण के लिये शर्तें ।**

23. (1) नियम 18 के खण्ड (13) के अधीन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने की तिथि से पूर्व एक वर्ष के भीतर अभिदायकर्ता की निधि में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक कोई कारण या प्रयोजन बताए बिना प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

(2) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

**संचय का अंतिम भुगतान ।**

24. निधि में अभिदायकर्ता का संचय, सेवा छोडने पर, उसकी सेवानिवृत्ति पर, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार अंतिम संदाय होगा :–

(1) **सेवा छोड़ने पर–**

(i) जब अभिदायकर्ता सेवा छोड़ता है तो निधि में उसकी जमा राशि उसे देय होगी।

(ii) अभिदायकर्ता के मामले में, जो कि सेवा से पदच्युत/सेवामुक्त कर दिया गया है और बाद में सेवा में बहाल कर दिया जाता है, तो वह नियम 12 में विहित दर पर उस पर ब्याज सहित उस राशि का पुनभुगतान करेगा, जो उसे निधि से अदा की गई थी। इस प्रकार से पुनभुगतान की गई राशि निधि में उसके खाते में जमा करवा दी जायेगी।

(iii) जब अभिदायकर्ता हरियाणा सरकार के अधीन एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति के लिये सेवा छोड़ता है, तो यह सेवा छोड़ने के रूप में नहीं माना जायेगा।

(iv) अभिदायकर्ता की छंटनी को सेवा छोड़ना माना जायेगा।

(2) **सेवा निवृत्ति पर–**

जब अभिदायकर्ता अधिवर्षिता या अन्य तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है। महालेखाकार अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि के उस भाग जिस पर कोई विवाद या शंका नहीं है की अदायगी के लिये कर्मचारी की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के 15 दिन पूर्व और दूसरे मामलों में तीन मास के अन्दर अदायगी प्राधिकृत करेगा और शेष राशि यथाशीघ्र जारी कर दी जायेगी।

(3) **मृत्यु या लापता होने पर –**

(i) जब अभिदायकर्ता की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो निधि में उसकी जमा राशि उसके परिवार के सदस्यों/नामित (नामितों) को भुगतानयोग्य होगी।

(ii) जब अभिदायकर्ता लापता/फरार हो जाता है और उसके ठौर–ठिकाने का पता नहीं है तो पुलिस रिपार्ट की प्राप्ति के बाद कि कर्मचारी का पता नहीं चल रहा है तो निधि में उसकी जमा राशि उसके परिवार के सदस्यों/नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) को भुगतानयोग्य होगी।

(4) **जब अभिदायकर्ता अपने पीछे परिवार छोड जाता है –**

(i) अभिदायकर्ता द्वारा नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार यदि अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों की जीविका के पक्ष में नामनिर्देशन किया हुआ है तो निधि में उसकी जमा राशि या उसका भाग जिसके लिये नामांकन किया हुआ है वह नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को उसके नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतानयोग्य होगा।

(ii) यदि अभिदायकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों की जीविका के पक्ष में ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया गया है या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसकी जमा राशि के केवल

किसी भाग से सम्बन्धित है तो सारी राशि या उसका भाग जिसके लिए नामांकन संबंधित नहीं है, जैसे भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आशयित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर के हिस्से में भुगतान योग्य होगा।

परन्तु मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और सन्तान या सन्तानों केवल उसी हिस्से को आपस में बराबर बराबर बांटेंगे जो उस पुत्र को मिलना था, यदि वह अभिदायकर्ता का उत्तरजीवी होता।

(5) **जब अभिदायकर्ता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोडता है–**

जब अभिदायकर्ता पीछे कोई परिवार नहीं छोडता है, यदि उस द्वारा नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की जीविका के पक्ष में कोई नामनिर्देशन किया गया है, तो निधि में उसकी जमा राशि या उसका भाग जिससे नामनिर्देशन सम्बन्धित है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतानयोग्य होगा। यदि अभिदायकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है और वैध नामनिर्देशन नहीं है तो न्यायालय से उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले दावेदार को भुगतान किया जायेगा।

(6) **मरणोपरान्त पैदा हुए संतान की स्थिति –**

अभिदायकर्ता का मरणोपरान्त पैदा हुई सन्तान उसकी मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य है और यदि जीवित पैदा होता है तो उसे अभिदायकर्ता की मृत्यु से पूर्व पैदा हुए जीवित संतानों के समान समझा जाना चाहिए। यदि मरणोपरान्त पैदा न हुए बच्चे के अस्तित्व की सूचना संवितरण अधिकारी को दी जाती है, तो उसके जीवित पैदा होने की स्थिति में उसे मिलने वाली राशि रख ली जाये और शेष राशि का वितरण सामान्य तरीके से किया जाये। यदि संतान जीवित पैदा होती है, तो रखी गई राशि का भुगतान उसी तरह से किया जाये, जिस तरह से अव्यस्क संतानों के मामले में किया जाता है लेकिन यदि कोई संतान पैदा नहीं होती है, तो रखी गई राशि का वितरण परिवार को सामान्य नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(7) **जब अभिदायकर्ता लापता/फरार हो जाता है और उसके ठौर–ठिकाने का पता नहीं है–**

जब कोई कर्मचारी परिवार को छोड़कर लापता हो जाता है तो प्रथमतः उसके परिवार को कर्मचारी द्वारा किये गये नामनिर्देशन को ध्यान में रखते हुए सामान्य भविष्य निधि की राशि का निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत भुगतान किया जा सकता हैः–

(i) परिवार सम्बद्ध पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट अवश्य दर्ज करवाये और इस आशय की एक रिपोर्ट भी प्राप्त करे कि पुलिस के सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारी का पता नहीं चल रहा;

(ii) नामनिर्देशिती/कर्मचारी के आश्रितों से क्षतिपूर्ति बंध–पत्र लिया जाये कि कर्मचारी के प्रकट होने पर और किसी भी तरह का दावा करने पर सभी भुगतानों का समायोजन कर्मचारी को देय भुगतानों के विरूद्ध किया जायेगा ;

(iii) परिवार, जो सरकारी कर्मचारी की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहा है, को न्यायालय के निर्णय तक कोई भी भुगतान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**भुगतान की रीति ।**

25. निधि से भुगतान नियम 15 के अधीन अग्रिम, नियम 18 के अधीन प्रत्याहरण तथा नियम 24 के अधीन अन्तिम भुगतान लेकर निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है :–

(1) **अग्रिम–**

नियम 15 में वर्णित प्रयोजनों के लिये नियम 16 में निर्धारित शर्तों के अधीन प्ररूप संख्या **पी.एफ.–3 (अनुबन्ध ग)** में निधि से अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी अभिदायकर्ता की ग्राह्यता के अनुसार प्ररूप संख्या **पी.एफ. –7 (अनुबन्ध छ)** में अग्रिम लेने के लिए स्वीकृति जारी करेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार, हरियाणा को पृष्ठांकित की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी अग्रिम की वसूली के लिये किस्तों की संख्या का विशेष उल्लेख करेगा। निधि से राशि उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार खजाने/उप–खजाने से निकाली जायेगी और उसका अभिदायकर्ता को संवितरण किया जायेगा। अग्रिम की स्वीकृति के अनुसार अग्रिम राशि की वसूली का दायित्व कार्यालयाध्यक्ष का होगा। महालेखाकार, हरियाणा उसके कार्यालय में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निधि से निकाली गई राशि की कटौती करेगा।

(2) **प्रत्याहरण–**

नियम 18 में वर्णित प्रयोजनों के लिये प्ररूप **पी.एफ.–4 (अनुबन्ध घ)** में नियम 19, 20, 21, 22 और 23 में निर्धारित शर्तों के अधीन निधि से प्रत्याहरण किया जा सकता है। अभिदायकर्ता किसी भी आशयित प्रत्याहरण के लिये दोहरी प्रति में निर्धारित प्ररूप में कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन करेगा। कार्यालयाध्यक्ष आवेदन की जांच–पड़ताल करने के उपरांत इसकी एक प्रति समर्पित दस्तावेजों के साथ विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करेगा, यदि उसे इन नियमों के अनुबन्ध 'झ' में यथावर्णित विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं । विभागाध्यक्ष प्रत्याहरण की शर्तों और ग्राह्यता से संतुष्ट होने के उपरांत निधि से प्रत्याहरण के लिए प्ररूप **पी.एफ.–8 (अनुबन्ध ज)** में स्वीकृति जारी करेगा, जिसकी एक प्रति सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्ष और महालेखाकार हरियाणा को भी पृष्ठांकित की जायेगी। निधि से राशि की निकासी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार खजाने या उप खजाने से की जायेगी और इसका अभिदायकर्ता को संवितरण किया जायेगा। यदि प्रत्याहरण विभागाध्यक्ष के कार्यालय में काम कर रहे किसी अभिदायकर्ता से सम्बन्धित है प्रत्याहरण उस कार्यालय द्वारा किया जायेगा। महालेखाकार, हरियाणा उसके कार्यालय में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निधि से प्रत्याहरण की स्वीकृति का उचित विवरण रखेगा।

(3) **अंतिम भुगतान–**

(i) कार्यालयाध्यक्ष अभिदायकर्ता से दोहरी प्रति में आवेदन प्ररूप संख्या **पी.एफ.–5 (अनुबन्ध ड़)** में अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन प्ररूप प्राप्त करने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति से 6 मास पूर्व महालेखाकार हरियाणा को उसे अग्रेषित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष अग्रिम के विरूद्ध जो अभी चालू हैं तथा किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं, को प्रभावित करने वाली वसूली का भी उल्लेख करेगा और प्रत्याहरण, यदि कोई हो, महालेखाकार, हरियाणा द्वारा भेजे गए अभिदायकर्ता को भेजी गई अन्तिम लेखा विविरणी के बाद की अवधि में किया गया है तो उसका भी उल्लेख करेगा। महालेखाकार बही–खातों से सत्यापन के उपरांत अभिदायकर्ता को देय राशि का उसके विकल्प के अनुरूप कार्यालयाध्यक्ष या खजाने को उसकी अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व प्राधिकार पत्र जारी करेगा, जोकि अधिवर्षिता के अगले कार्य दिवस में देय होगा। खजाना अधिकारी, महालेखाकार द्वारा खजाना कार्यालय के लिये जारी प्राधिकार पत्र की प्रति प्राप्त

होने के बाद ही भुगतान को अनुज्ञात करेगा।

(ii) सेवा के दौरान अभिदायकर्ता की मृत्यु हो जाने के मामले मे, कार्यालयाध्यक्ष निधि में संचायन के अंतिम भुगतान के लिये तुरन्त कार्यावाही शुरू करने के लिए महालेखाकार को प्रस्तुत करने के लिये अभिदायकर्ता के परिवार के सदस्यों/नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) से प्ररूप संख्या **पी.एफ.–6 (अनुबन्ध च)** में आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। अव्यस्क (अव्यस्कों) के मामले में, यदि अवस्यक का प्राकृतिक संरक्षक जीवित नहीं है, भुगतान कानूनी संरक्षक के माध्यम से किया जायेगा। इस उप–नियम के खण्ड (i) में यथावर्णित अन्य पूर्व शर्ते/ औपचारिकताएं पूरी की जायेंगी और तद् अनुसार प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

(iii) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, इन नियमों के अधीन किसी राशि का भुगतान किया जाना है, जो पागल है और भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का अधिनियम IV) के अधीन उसकी सम्पदा के लिये निमित्त प्रबन्धक नियुक्त किया हुआ है, तो भुगतान ऐसे प्रबन्धक को किया जायेगा, न कि पागल को :

परन्तु जहां कोई भी प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और व्यक्ति जिस को राशि देय है, वह न्यायाधीश द्वारा पागल प्रमाणित किया हुआ है, भुगतान भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का अधिनियम IV) की धारा 95 की उप धारा (I) के अनुसार कलक्टर के आदेशों द्वारा उस व्यक्ति को भुगतान होगा, जो ऐसे पागल की देखरेख कर रहा है और महालेखाकार जितनी उचित समझेगा, केवल उतनी ही राशि का पागल की देखरेख करने वाले व्यक्ति, यदि कोई है, को भुगतान करेगा या उसका ऐसा भाग, जो वह उचित समझे, भरण पोषण के लिये उसे भुगतान किया जायेगा।

(iv) प्रत्याहरण राशि का भुगतान केवल भारत में ही होगा। व्यक्ति जिसको राशि देय है वह भारत में राशि प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेगा।

**अग्रिम/प्रत्याहरण का दुस्पयोग ।**

26. इन नियमों मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के पास शंका का कारण है कि नियम 15 या 18 के अधीन निधि से अग्रिम या प्रत्याहरण के रूप में आहरित राशि का उपयोग, उससे भिन्न के प्रयोजन के लिए किया गया है तो जिस के लिये राशि के आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, वह अपनी शंका के

कारणों से अभिदायकर्ता को संसूचित करेगा तथा उससे अपेक्षा करेगा कि ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तिथि के तीस दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण दे कि क्या अग्रिम या प्रत्याहरण का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिये राशि आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अभिदायकर्ता द्वारा तीस दिन की उक्त अवधि में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है, तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अभिदायकर्ता को निर्देश देगा कि वह प्रश्नाधीन राशि तत्काल निधि में पुनः जमा करवाये या चूक होने की स्थिति में अभिदायकर्ता के वेतन में से एकमुश्त कटौती द्वारा वसूल करने के आदेश देगा चाहे वह अवकाश पर हो। यदि, तथापि, पुनः भुगतान की जाने वाली कुल राशि अभिदायकर्ता की वेतन राशि के आधे से अधिक है तो वसूली मासिक किस्तों में, जो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अवधारित करे किन्तु, उसके वेतन के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। अभिदायकर्ता को निधि से कोई अग्रिम लेने के लिए दो वर्षों की अवधि के लिये और प्रत्याहरण के लिये पांच वर्षों की अवधि के लिये विवर्जित भी कर दिया जायेगा।

**महालेखाकार के कार्यालय में सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख–रखाव ।**

27 (1) इन नियमों के अधीन निधि में प्रदत्त सभी राशियां सरकार के खातों में ''सामान्य भविष्य निधि'' नामक लेखे में जमा की जाएंगी। इन नियमों के अधीन जो राशि देय हो जाती है और उसका भुगतान छह मास के भीतर नहीं किया जाता है, तो वर्ष के अन्त में ऐसी राशि को 'जमा' में अंतरित कर दिया जायेगा और उस पर जमा से सम्बन्धित साधारण नियम लागू होंगे।

(2) भारत में अभिदाय की राशि जमा करवाते समय, चाहे यह वेतन से कटौती द्वारा या नकद रूप में हो, अभिदायकर्ता निधि का अपना लेखा संख्या उद्धृत करेगा जो उसे महालेखाकार द्वारा संसूचित किया जायेगा। इसी तरह संख्या मे कोई परिवर्तन आता है तो महालेखाकार द्वारा अभिदायकर्ता को संसूचित किया जाएगा।

(3) महालेखाकार, यदि अभिदायकर्ता द्वारा अपेक्षित है, तो एक बार, लेकिन एक बार से अधिक नहीं, अभिदायकर्ता को वर्ष में उस मास के अंत में, जिसके लिये उसका लेखा आलेखित किया गया है, उसके निधि के लेखे में जमा कुल राशि की जानकारी देगा।

**वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणी जारी करना।**

28 (1) महालेखाकार, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के बाद, यथा संभव शीघ्र प्रत्येक अभिदायकर्ता को वर्ष के प्रथम अप्रैल को आरंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान जमा या नामें डाली गई कुल राशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा राशि का कुल व्याज तथा उस तिथि को अंत अतिशेष को दर्शाते हए निधि में उसके लेखे की विवरणी भेजेगा। महालेखाकार खाते

की विवरणी के साथ सम्बद्ध कर्मचारी की जन्म तिथि, यदि उसके कार्यालय में उपलब्ध है, खाते की विवरणी के साथ संलग्न करेगा और प्रश्न करेगा कि क्या अभिदायकर्ता :–

(i) नियम 7 के अधीन किये गये किसी नामनिर्देशन में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहता है ; या

(ii) ऐसे मामलों में जहां उसका परिवार हो गया है और नियम 7 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अभिदायकर्ता ने उसके परिवार के सदस्य के पक्ष में नामनिर्देशन नहीं किया है।

(2) अभिदायकर्ताओं की वार्षिक विवरणी के सहीपन बारे स्वयं की संतुष्टि होनी चाहिए और गल्तियों को विवरणी की प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर महालेखाकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

**प्रत्यायोजन ।**

29. विभागाध्यक्ष इन नियमों के अधीन अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिए उन्हें प्रदत्त शक्तियां अपनी जिम्मेदारी पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जिन्हें वे लगाना पसंद करें, उसके मुख्यालय/जिला/कोई अन्य कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत किसी अधिकारी को पुनः प्रत्योजित कर सकते हैं।

**नियमों में ढील ।**

30. जब यह अनुभव किया जाये कि इन नियमों के किन्हीं के प्रचालन से अभिदायकर्ता को अनावश्यक कठिनाई होती है या होने की संभावना है, तो वित्त विभाग, इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभिदायकर्ता के मामलों का निपटान ऐसी रीति में करेगा, जो न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हों।

**निर्वचन।**

31. इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसे वित्त विभाग, हरियाणा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

**निरसन तथा व्यावृत्ति ।**

32. पंजाब सामान्य भविष्य निधि नियम, 1936 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं। इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।

—

अनुबन्ध क

प्ररुप संख्या पी.एफ.–1

(देखिए नियम 6)

## सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आबंटन के लिये आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

| आवेदक का नाम और पिता/पति का नाम | जन्म तिथि/ नियमित सेवा में आने की तिथि | पद नाम और कार्यालय पता | धारित पद का नाम (i) परिवीक्षा पर (ii) अस्थाई (iii)स्थाई | वर्तमान वेतनमान और मासिक मूल वेतन | अभिदाय की मासिक दर | क्या आवेदक का परिवार है या नहीं | महालेखाकार द्वारा आबंटित खाता संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

स्थान————— आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक————20 (हस्ताक्षर)

कार्यालयाध्यक्ष

---

कार्यालय महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़

संख्या————————————दिनांक—————

खाना 8 में यथावर्णित आबंटित सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या के साथ——————को लौटाया जाता है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किये जाने वाले सभी पत्राचारों में यह संख्या अंकित की जाये। सम्पक् रुप से स्वीकृत किया गया नामनिर्देशन प्ररुप भी कार्यालय रिकार्ड के लिये वापिस लौटाया जाता है।

(हस्ताक्षर)

महालेखाकर, हरियाणा

## अनुबन्ध ख
## प्ररुप संख्या पी.एफ.–2
## (देखिए नियम 7)
## नाम–निर्देशन का प्ररुप

खाता संख्या––––––––––

मैं ––––––––––––––इसके द्वारा निम्न वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को जो कि मेरे परिवार का सदस्य है (सदस्य हैं)/गैर सदस्य है (सदस्य हैं), जैसा कि हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 7 में परिभाषित है, को राशि देय होने से पूर्व या देय होने, लेकिन भुगतान न होने से पूर्व मेरा निधन होने पर निधि में मेरी जमा राशि निम्न अनुसार प्राप्त करने के लिये नामनिर्देशित करता हूं :

| नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियो) का नाम और पता | अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध | नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) की आयु | प्रत्येक नामनिर्देशिती को देय हिस्सा | धटनाएं जिनके धटित होने पर नामनिर्देशन अवैध हो जायेगा | उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, पता और सम्बन्ध, यदि कोई है, जिसे अभिदायकर्ता के पूर्व निधन होने पर नामनिर्देशित व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होगा | यदि नामनिर्देशित व्यक्ति नियम 3 में यथाउपबंधित परिवार का सदस्य नहीं है तो कारण बताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

स्थान––––––––

दिनांक–––––––– 20

अभिदायकर्ता के हस्ताक्षर

बड़े अक्षरों में नाम–––––––––

पदनाम––––––––––––––

**दो गवाहों के हस्ताक्षर**

नाम और पता हस्ताक्षर

1.

2.

**टिप्पण :** (1) प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जायेगा। दो प्रतियां महालेखाकार, हरियाणा को अग्रेषित की जायेंगी, जो एक प्रति सम्पक् रूप से स्वीकृत और हस्ताक्षर करके कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय रिकार्ड के लिये लौटाएगा।

(2) खाना 4 में, यदि केवल एक व्यक्ति नामनिर्देशित किया गया है तो नामनिर्देशित के सामने ''सम्पूर्ण'' शब्द अंकित किया जाना चाहिए। यदि एक से ज्यादा व्यक्ति नामनिर्देशित किये गये हैं तो निधि की सम्पूर्ण राशि के वितरण के लिये प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति का भुगतान योग्य हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाये।

**कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिये**

श्री/सुश्री–––––––––––––––––––––––––––––––– पदनाम–––––––––––––––––––––– से दिनांक––––––––––को प्राप्त नामनिर्देशन अग्रिम कार्रवाई के लिये महालेखाकार, हरियाणा को अग्रेषित करने हेतु प्राप्त।

**दिनांक––––––––––**

**(हस्ताक्षर)**
**कार्यालयाध्यक्ष**

**महालेखाकार, हरियाणा के प्रयोग के लिये**

श्री/सुश्री––––––––––––––––––––––––––पदनाम––––––––––––––––कार्यालय–––––––––––
द्वारा किया गया नाम निर्देशन स्वीकृत किया जाता है और कार्यालय प्रयोग के लिये––––––––––(कार्यालयाध्यक्ष) को कार्यालय रिकार्ड के लिये वापिस भेजा जाता है।

**(हस्ताक्षर)**
**महालेखाकार, हरियाणा**

## अनुबन्ध ग

## प्ररूप संख्या पी.एफ.–3

## (देखिए नियम 15 से 17)

## सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के लिये आवेदन पत्र

## विभाग/कार्यालय ——————————

1. अभिदायकर्ता का नाम :
2. पदनाम :
3. खाता संख्या (पूर्ण) :
4. विद्यमान वेतनमान :
5. विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन, जिसमें
   महंगाई वेतन, वैयक्तिक वेतन,
   विशेष वेतन, यदि कोई है, शामिल है :
6. सेवा ग्रहण करने की तिथि :
7. सेवानिवृति की तिथि :
8. अभिदायकर्ता के खाते में आवेदन की तिथि को
   निम्न अनुसार अतिशेष :
   (i) वर्ष ————— की नवीनतम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तिम अतिशेष (प्रति संलग्न) : रुपये
   (ii) नियमित मासिक अभिदाय को जोड़ें और इसमें उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी के बाद यदि कोई एकमुश्त अभिदाय जमा हुआ है तो उसे भी इसमें जमा करें : रुपये
   (iii) उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद अग्रिम (अग्रिमों) के धन की वापिसी को जोड़ें : रुपये
   (iv) कुल (i) + (ii) और + (iii) : रुपये
   (v) उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिये गये अग्रिम (अग्रिमों) और प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) को घटाएं : रुपये
   (vi) जमा में शुद्ध अतिशेष : रुपये

9. अपेक्षित अग्रिम की राशि रुपये——————————

10. प्रयोजन जिसके लिये अग्रिम अपेक्षित है :

11. रस्म की तिथि :

12. नियम जिसके अन्तर्गत अग्रिम स्वीकार्य है :

13. सेवा के दौरान लिये गये अग्रिमों का पूर्ण विवरण :

| क्रम संख्या | अग्रिम का प्रयोजन | आहरण की तिथि | राशि | कार्यालय का नाम जहां से अदायगी प्राप्त की |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

14. क्या पूर्व में लिये गये अग्रिम की पूरी वसूली हो चुकी है।

15. यदि उपरोक्त मद 13 का उत्तर नकारात्मक है तो निम्न सूचना दें :–

| क्रम संख्या | अग्रिम का प्रयोजन | अग्रिम की राशि | आहरण का मास | वसूली की किस्तों की संख्या | वसूला गया अग्रिम | बकाया अगिम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे सामान्य भविष्य निधि से पहले जो अग्रिम लिया था (लिये थे) का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये अग्रिम स्वीकृत किया था (किये थे) उस पर उपयोग किया है और मैंने पहले ही कार्यालयाध्यक्ष को उपयोग प्रमाण पत्र भेज दिया है जैसा कि नियम 16 में अपेक्षित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की रस्म/शिक्षा आदि के लिये अग्रिम लेने हेतु आवेदन किया गया है वह पूर्ण रूप से और केवल मेरे उपर आश्रित है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है या कोई भी मिथ्या कथन नहीं है। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि तथ्यों के छिपाने या गलत तथ्य देने से मुझे मेरे सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम (अग्रिमों) लेने के लिये दो वर्षो की अवधिं के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

**आवेदक के हस्ताक्षर**

**नाम————————**

**पदनाम ————————**

**दिनांक————**

**शाखा————————**

## अनुबन्ध घ
## प्ररूप संख्या पी.एफ.–4
## (देखिए नियम 18 से 23)
## सामान्य भविष्य निधि से प्रत्याहरण के लिये आवेदन–पत्र
## भाग–।

विभाग––––––––––––––––

कार्यालयाध्यक्ष––––––––––––

1. अभिदायकर्ता का नाम :
2. पदनाम :
3. लेखा संख्या (पूर्ण):
4. विद्यमान वेतनमान :
5. विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन, जिसमें महंगाई वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई है, शामिल है : रुपये
6. सेवा ग्रहण करने की तिथि :
7. सेवानिवृत्ति की तिथि :
8. अभिदायकर्ता के खाते में आवेदन की तिथि को निम्न अनुसार अतिशेष :
   (i) वर्ष ––––––की नवीनतम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अंतिम अतिशेष (प्रति संलग्न) : रुपये
   (ii) नियमित मासिक अभिदाय को जोड़ें और इसमें उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी के बाद यदि कोई एकमुश्त अभिदाय जमा हुआ है तो उसे भी इसमें जमा करें : रुपये
   (iii) उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद अग्रिम (अग्रिमों)के धन की वापिसी को जोड़ें : रुपये
   (iv) कुल (i) + (ii) और + (iii) : रुपये
   (v) उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिये गये अग्रिम (अग्रिमों) और प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) को घटाएं : रुपये
   (vi) खाते में शुद्ध अतिशेष : रुपये
9. प्रत्याहरण की अपेक्षित राशि: रुपये––––––––––

10. प्रयोजन जिसके लिये प्रत्याहरण अपेक्षित है :
11. नियम जिसके अन्तर्गत प्रत्याहरण स्वीकार्य है :
12. क्या इसी प्रयोजन के लिये पहले कोई प्रत्याहरण
लिया गया है, यदि लिया गया है तो राशि और तिथि का उल्लेख करें :

| क्रम संख्या | आहरण की तिथि | स्वीकृति संख्या और तिथि | राशि | कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया हो |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

**टिप्पण** : प्लाट की खरीद, मकान की खरीद, मकान निर्माण, परिवर्तन तथा परिवर्धन, मकान की मरम्मत और इन प्रयोजनों के लिये ऋण के पुनभुगतान हेतु लिए गये सभी प्रत्याहरणों को उसी प्रयोजन के रूप में समझा जाना चाहिए । मोटर साइकिल, स्कूटर ओर मोपेड की खरीद हेतु लिये गए सभी प्रत्याहरणों को इसी प्रयोजन के रूप में समझा जाना चाहिए और नियम 22 में वर्णित शर्तों के अधीन मोटरकार के लिये अलग से प्रत्याहरण लिया जा सकता है।

13. अतिरिक्त जानकारी सम्बद्ध भागों में (भाग–संलग्न)
दी जाये अर्थात् प्लाट/फ्लैट का अर्जन भाग – II में/
विवाह की रस्म का विवरण भाग–III में/
उच्च शिक्षा का विवरण भाग –IV में/
मोटर वाहन/वाहनों का विवरण भाग–V में :

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे सामान्य भविष्य निधि से पहले जो प्रत्याहरण लिया था (लिये थे) का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये प्रत्याहरण स्वीकृत किया गया था (किये गये थे) उसी पर उपयोग किया है और मैंने पहले ही कार्यालाध्यक्ष को उपयोग प्रमाण–पत्र भेज दिया है जैसा कि नियम 19/20/21/22 में अपेक्षित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की रस्म/शिक्षा आदि के लिये अग्रिम लेने हेतु आवेदन किया गया है वह पूर्ण रूप से और केवल मेरे ऊपर आश्रित है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है या कोई भी मिथ्या कथन नहीं है। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि तथ्यों को छिपाने, गलत तथ्य देने से मुझे मेरे सामान्य भविष्य निधि से प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों)लेने के लिये पांच वर्षों की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पदनाम ————————
दिनांक ———————— कार्यालय————————

## (कार्यालय द्वारा परीक्षण/सत्यापन)

1. प्रमाणित किया जाता है कि अभिदायकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये इस विवरण की कार्यालय ने जांच पड़ताल और सत्यापन कर लिया है। अभिदायकर्ता द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्यापित और ठीक हैं।

2. अभिदायकर्ता नियम 18 के अधीन आवेदित प्रत्याहरण को लेने का हकदार है; या अभिदायकर्ता आवेदित प्रत्याहरण के लिये हकदार नहीं हैं और निम्न कारणों से नियमों में छूट देने का निवेदन किया है।

(i)

(ii)

(iii)

## (मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

## अनुबन्ध घ
## प्ररूप संख्या पी.एफ.–4
### भाग–II

यदि आवेदन पत्र प्लाट अर्जित करके उस पर मकान बनाने/फ्लैट या मकान अर्जित करने/मकान निर्माण हेतु प्रत्याहरण के लिये है तो निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाये :

| क्रम संख्या | विषय | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रयोजन | (i) मकान के लिये प्लाट का अर्जन<br>(ii) निर्मित फ्लैट का अर्जन<br>(iii) निर्मित मकान का अर्जन<br>(iv) मकान का निर्माण<br>(v) आवास इकाई अर्जित करने के लिये अभिव्यक्त रूप से वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण के पुनः भुगतान<br>(vi) मकान की मुरम्मत/सौन्दर्यकरण |
| 2. | अर्जन का स्रोत (कृपया अभिकरण का विवरण दें, अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/सहकारी आवासीय समिति/खुला बाजार या कोई अन्य स्रोत) | |
| 3. | व्यक्ति जिसके नाम<br>प्लाट/मकान/फ्लैट (स्पष्ट हक है) स्वामित्व का प्रमाण/आबंटन पत्र की प्रति संलग्न करें। | |
| 4. | सरकार की स्कीम के अधीन लिये गये गृह निर्माण अग्रिम की राशि, यदि कोई हो | |
| 5. | क्या सामान्य भविष्य निधि से इस प्रयोजन के लिये पहले प्रत्याहरण किया गया है। | हां/नहीं |
| 6. | यदि उपरोक्त का उत्तर 'हां' में है, | |

| | | |
|---|---|---|
| | कृपया विवरण दें :<br>(i) उसी इकाई के लिये लिया गया प्रत्याहरण<br>(ii) किसी अन्य इकाई (इकाइयों) के लिये लिया गया प्रत्याहरण<br>(iii) क्या पूर्व इकाई का निपटान कर दिया है और उसी (इकाई) से लिया गया अग्रिम वापिस खाते में जमा करवा दिया है | (i)<br>(ii)<br>(iii) |
| 7. | यदि पति या पत्नी के नाम प्लाट हेतु प्रत्याहरण के लिये आवेदन किया जा रहा है, तो कृपया यह उल्लेख करें कि सामान्य भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने वाला पहला नामनिर्देशिती कौन है। | |

**(आवेदक के हस्ताक्षर)**
**पदनाम ——————————**
**कार्यालय——————————**

अनुबन्ध घ

प्ररूप संख्या पी.एफ.–4

भाग–**III**

(विवाह रस्म के लिये प्रत्याहरण)

| क्रम संख्या | विषय | ब्यौरे |
|---|---|---|
| 1 | स्वयं/बेटा/बेटी/आश्रित बहन की शादी | |
| 2 | आश्रित का नाम, जिसकी शादी के लिये अग्रिम के लिये आवेदन किया जाता है | |
| 3 | आश्रित की जन्म तिथि | |
| 4 | क्या शादी के लिये पहले कोई प्रत्याहरण लिया गया है ? यदि हां, तो ली गई राशि का विस्तृत विवरण | |
| 5 | प्रत्याहरण राशि जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है | |
| 6 | विवाह की तिथि | |

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पदनाम————————————

कार्यालय—————————

अनुबन्ध घ
प्ररूप संख्या पी.एफ.–4
भाग–**IV**
(संतान की उच्च शिक्षा के लिये प्रत्याहरण)

| क्रम संख्या | विषय | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | संतानों की उच्च शिक्षा के लिये प्रत्याहरण के लिये आवेदन किया जा रहा है :– | पुत्र/पुत्री |
| 2. | संतान का नाम | |
| 3. | अध्ययन के पाठ्यक्रम के ब्यौरे | |
| 4. | अध्ययन संस्थान का नाम | |
| 5. | प्रवेश का प्रमाण | |
| 6. | अग्रिम को न्यायोचित करने के समर्थन में फीस का प्रमाण | |
| 7. | इस प्रयोजन के लिये पूर्व में लिए गए प्रत्याहरणों के ब्यौरे | (i)<br>(ii)<br>(iii) |

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पदनाम––––––––––––––
कार्यालय–––––––––––

## अनुबन्ध घ
## प्ररूप संख्या पी.एफ.–4
## भाग–V
## (मोटरवाहन (वाहनों) की खरीद के लिये प्रत्याहरण)

| क्रम संख्या | विषय | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रत्याहरण का आवेदन मोटरवाहन अर्थात मोटर कार, मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड के लिये किया जा रहा है । | |
| 2. | पूर्व में लिए गए प्रत्याहरण या ऋण, यदि कोई हो, के विवरण । | राशि<br>प्रत्याहरण या ऋण<br>निकासी की तिथि |
| 3. | वाहन की लागत (प्रपत्र बीजक संलग्न करें) । | |
| 4. | वाहन की खरीद के लिये अपेक्षित राशि । | |

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पदनाम————————————
कार्यालय————————————

## अनुबन्ध ड.
## प्ररूप संख्या पी.एफ.–5
## (देखिए नियम 24)

निगमित निकायों/अन्य सरकारों में अंतिम भुगतान/स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र

सेवा में

महालेखाकार,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
(कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

श्रीमान,

मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं/हो गया हूं/सेवा मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूं/स्थाई रूप से ————————में स्थानांतरित कर दिया गया हूं /सरकारी सेवा से अंतिम रूप से त्याग–पत्र दे दिया है/————————में नियुक्ति के लिये ————— सरकार की सेवा से त्याग पत्र दे दिया है और मेरा त्याग–पत्र ————— पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकार लिया गया है। मैंने ———————— में ———————— को पूर्वाह्न/अपराह्न में सेवा में प्रवेश कर लिया है ।

2. मेरा निधि खाता संख्या ———————— है ।

3. मैं मेरे कार्यालय———————— या ———————————— खजाना/उपखजाना के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहता हूं। पहचान के लिए मेरे व्यक्तिगत चिन्ह, बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली की छाप (निराक्षर अभिदायकर्ता के मामले में) और नमूना हस्ताक्षर (साक्षर अभिदायकर्ता के मामले में) के ब्यौरे दोहरी प्रतियों में सरकार के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित, संलग्न हैं।

4. मेरा अनुरोध है कि मेरे खाते में जमा सम्पूर्ण राशि और उस पर नियमों के अधीन देय ब्याज सहित मुझे अदा की जाये/————————को अंतरित की जाये।

**भवदीय,**

**(हस्ताक्षर)**
**नाम**
**पता**

**तिथिः–**
**(विर्निदिष्ट किया जाए)**

## (कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

आवश्यक कार्यवाही के लिये महालेखाकार, हरियाणा को अग्रेषित।

2. श्री/सुश्री———————— सेवानिवृत्त हो गया है/सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया है/————————में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है/सरकारी सेवा से अंतिम रूप से त्याग पत्र दे दिया है/————————में नियुक्ति के लिये ——— सरकार की सेवा से त्याग पत्र दे दिया है और उसका त्याग पत्र ——— पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है। उसने————————में ———————— को पूर्वाह्न/अपराह्न से सेवा में प्रवेश कर लिया है।

3. अंतिम निधि कटौती उसके वेतन से, कार्यालय बिल संख्या————————दिनांक———————— रुपये———(————————रुपये) ————————खजाने में/खजाना वाउचर संख्या————, कटौती की राशि ———— रुपये और अग्रिम के पुनःभुगतान की वसूली ———रूपये कर ली गई थी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्नलिखित अग्रिम लिये हैं, जिनके सम्बन्ध में ————————रुपये की ————————किस्तें अभी वसूल की जानी हैं और निधि खाते में जमा की जानी हैं/सेवा त्यागने/सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश पर जाने या उसके बाद ठीक पहले पूर्वगामी बारह मास के दौरान उसे स्वीकृत किये गये अग्रिम (अग्रिमों)/प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) का विस्तृत विवरण निम्न अनुसार है–

| क्रम संख्या | अग्रिमों/प्रत्याहरणों की राशि | नगद पाने का स्थान | वाउचर संख्या और दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकार के अधीन या राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले निगमित निकाय में नियुक्ति के लिये राज्य सरकार से पूर्व अनुमति से सरकारी सेवा से त्याग–पत्र नहीं दिया है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि महालेखााकर, हरियाणा की सहमति के बिना इसके बाद अभिदायकर्ता को कोई अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. प्रमाणित किया जाता है कि अभिदायकर्ता/दावेदार ने दिनांक ———— मास————————वर्ष————————को आवेदन किया है।

**(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)**

## अनुबन्ध च

## प्ररूप संख्या पी.एफ.–6

## (देखिए नियम 24)

नामनिर्देशितियों या किन्ही अन्य दावेदारों, जहां कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, को अंतिम भुगतान हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

महालेखाकार,
हरियाणा, चण्डीगढ़।
(कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

श्रीमान,

निवेदन है कि श्री/सुश्री————————————के सामान्य भविष्य निधि खाते में संचयों का अंतिम भुगतान करने की कृपया व्यवस्था करवा दें। इस सम्बन्ध में अपेक्षित आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. सरकारी कर्मचारी का नाम :
2. जन्म तिथि :
3. सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद :
4. मृत्यु की तिथि :
5. मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मृत्यु का प्रमाण (नगरपालिका प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी) :
6. अभिदायकर्ता का सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या (पूर्ण) :
7. अभिदायकर्ता की मृत्यु के समय उसके खाते में जमा राशि यदि ज्ञात है :
8. अभिदायकर्ता की मृत्यु के समय नामनिर्देशित जीवित व्यक्तियों का विवरण, यदि नामनिर्देशन किया गया हो :

| | नामनिदेशिती का नाम | अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध | नामनिदेशिती का हिस्सा | विशेष कथन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ———————— | —————————— | ————————— | ————— |
| 2. | ———————— | —————————— | ————————— | ————— |
| 3. | ———————— | —————————— | ————————— | ————— |

9. यदि नामनिर्देशन परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में है, तो परिवार का विवरण यदि अभिदायकर्ता ने बाद में परिवार अर्जित किया है :

| | नाम | अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध | मृत्यु की तिथि को आयु | विशेष कथन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |
| 2. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |
| 3. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |

10. यदि कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, अभिदायकर्ता की मृत्यु की तिथि को परिवार के जीवित सदस्यों के विवरण। बेटी या अभिदायकर्ता के मृतक पुत्र की बेटी जिसकी शादी अभिदायकर्ता की मृत्यु से पूर्व हुई है, के मामले में, उसके नाम के सामने यह उल्लेख किया जाये कि क्या अभिदायकर्ता की मृत्यु की तिथि को उसका पति जीवित था।

| | नाम | अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध | मृत्यु की तिथि को आयु | विशेष कथन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |
| 2. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |
| 3. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |

11. प्राकृतिक/कानूनी संरक्षक का नाम :
(ऐसे मामले में जब राशि अव्यस्क बच्चे को देय है)

12. यदि अभिदायकर्ता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है और कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, व्यक्तियों के नाम जिन्हें सामान्य भविष्य निधि राशि देय है (प्रोबेट पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र इत्यादि से समर्थित) :

| | नाम | अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध | मृत्यु की तिथि को आयु | विशेष कथन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |
| 2. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |
| 3. | ———————— | ———————— | ———————— | ———— |

13. भुगतान कार्यालय————————के माध्यम से ————————खजाना/उपखजाना के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी/मैजिस्ट्रेट द्वारा सम्पक् रूप से सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:–

(i) पहचान के व्यक्तिगत चिन्ह

(ii) बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे या
अंगुली के छापे (निराक्षर दावेदारों के मामले में)

(iii) दो नमूना हस्ताक्षर (साक्षर दावेदार के मामले में)

भवदीय

**स्थान————————** **(दावेदार के हस्ताक्षर)**

**दिनांक————————** **(पूरा नाम तथा पता)**

**(कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)**

महालेखाकार, हरियाणा को आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित उपरोक्त विवरण विधिवत् सत्यापित है।

2. श्री/सुश्री ————————————————का सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या————————है।

3. उसकी दिनांक————————————को मृत्यु हो गई थी। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है (प्रति संलग्न)।

4. सामान्य भविष्य निधि की अंतिम कटौती उसके ————————मास के वेतन से खजाना वाउचर संख्या ————————दिनांक————————को इस कार्यालय के बिल संख्या———— दिनांक————————————————————को ————————रुपये (————————रुपये) खजाना चालान संख्या————दिनांक ————————द्वारा———— रुपये और वसूली राशि————————रुपये आहरित की गई थी।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्न अग्रिम लिये थे, जिनके सम्बन्ध में ————————किश्तें जो————————रुपये की हैं वसूल की जानी हैं और निधि खाते में जमा की जानी हैं। उसकी मृत्यु की तिथि के तुरंत पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान उसे दिए गये प्रत्याहरणों का विवरण नीचे दिया गया है :–

| क्रम संख्या | अग्रिमों/प्रत्याहरणों की राशि | नगद पाने का स्थान | वाउचर संख्या और दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

6. प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार ने दिनांक ————मास——— वर्ष————को आवेदन किया था।

**(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)**

अनुबन्ध छ

प्ररूप संख्या पी.एफ.–7

(देखिए नियम 15)

श्री/सुश्री––––––––को–––––––––––––के सम्बन्ध में खर्चों को पूरा करने के लिये उसके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या––––––––––से––––––––––रुपये (केवल––––––––––––––रुपये) के अग्रिम की हरियाणा सामान्य भविष्य निधि के नियमों के नियम–––––––के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अग्रिम की वसूली–––––––मासिक किस्तों मे होगी और प्रत्येक मासिक किस्त––––––––रुपये की होगी, आहरण मास––––––के उत्तरवर्ती अगले मास के वेतन से शुरू होगी।

3. स्वीकृति तिथि को श्री/सुश्री –––––––के खाते में अतिशेष का विवरण निम्न प्रकार है:–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | ––––वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि विवरण के अनुसार अतिशेष | ––––––रुपये |
| (ii) | पश्चात्वर्ती जमा | ––––––रुपये |
| (iii) | खाना (i) और (ii) का कुल योग | ––––––रुपये |
| (iv) | पश्चात्वर्ती अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई है | ––––––रुपये |
| (v) | स्वीकृति तिथि को अतिशेष खाना (iii) घटाया (iv) | ––––––रुपये |

(नाम)

दिनांक : कार्यालयाध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या : दिनांक :

प्रति अग्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ और अभिदायकर्ता के खाता पुस्तिका में इंदराज के लिये।

2. श्री/सुश्री –––––––––। उसका ध्यान निधि नियमों के नियम–––––– के उपबंधों की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार एक अभिदायकर्ता जिसे निधि से धन के आहरण की अनुमति प्रदान की गई है, वह स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करे कि जिस प्रयोजन के लिये राशि का आहरण किया गया है, यह उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है। आहरण की तिथि से एक मास के भीतर इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि आहरण की गई राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिस प्रयोजन के लिये स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. खजाना अधिकारी–––––––––।

(हस्ताक्षर)

## अनुबन्ध ज
## प्ररूप संख्या पी.एफ.–8
## प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति आदेश
## (देखिए नियम 18)

श्री/सुश्री––––––––––––(यहां नाम तथा पदनाम लिखें) को हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियमों के ––––––––– नियम के अधीन उसके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या––––––––––––––––से––––––––––––रुपये (केवल––––––––––––रुपये) के प्रत्याहरण की स्वीकृति उसे––––––––––––सम्बन्ध में खर्च करने के लिये प्रदान की जाती है।

2. इस प्रत्याहरण के लिये निर्धारित शर्तों की सीमाओं के भीतर प्रत्याहरण की राशि।

3. स्वीकृति तिथि को श्री/सुश्री –––––––के खाते में अतिशेष का विवरण निम्न प्रकार है:–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | वर्ष–––––––के लिए सामान्य भविष्य निधि विवरणी अनुसार अतिशेष | ––––––रुपये |
| (ii) | पश्चात्वर्ती जमा | ––––––रुपये |
| (iii) | खाना (i) और (ii) का कुल योग | ––––––रुपये |
| (iv) | पश्चात्वर्ती अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई है | ––––––रुपये |
| (v) | स्वीकृति तिथि को अतिशेष खाना (iii) घटाया (iv) | ––––––रुपये |

(नाम)
विभागाध्यक्ष

दिनांक :

पृष्ठांकन संख्या दिनांक

प्रति अग्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ और अभिदायकर्ता के खाता पुस्तिका में इंदराज के लिये।

2. श्री/सुश्री ––––––––। उसका ध्यान सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम––––– के उपबंधों की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार अभिदायकर्ता जिसे निधि से धन के आहरण की अनुमति प्रदान की गई थी, वह स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करे कि धन उस प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया, जिसके लिए यह आहरण किया गया। इस आश्य का प्रमाण पत्र कि आहरण राशि उस प्रयोजन के लिए उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, निकासी की तिथि से ––––––मास के भीतर प्रस्तुत करें।

3. कार्यालयाध्यक्ष––––––––––।

4. खजाना अधिकारी,––––––––।

(विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

## अनुबन्ध झ
## (देखिये नियम 2 (IV), 15 और 18)

अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची

| क्रम संख्या | नियम | अधिकार की प्रकृति | किसको प्रत्यायोजित | शक्ति की सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 (1)<br>15 (2)<br>15 (3)<br>15 (4)<br>15 (5) | अग्रिम की स्वीकृति के लिये :–<br>बीमारी, प्रसूति या विकलांगता<br>उच्च शिक्षा<br>बाध्यकर खर्चे<br>न्यायालय में विधिक कार्यवाही<br>विभागीय जांच में बचाव | कार्याल्याध्यक्ष | छह मास का वेतन या सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम है और आगे नियम 16 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए। |
| 02 | 15 (6) | अग्रिम की स्वीकृति के लिये :–<br>घरेलू वस्तु (वस्तुओं) की खरीद | कार्याल्याध्यक्ष | छह मास का वेतन या सामान्य भविष्य निधि खाते में जमाराशि का 50 प्रतिशत या वस्तु की वास्तविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 16 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए। |
| 03 | 18 (1)<br>18 (2)<br>18 (3)<br>18 (4) | प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :–<br>सरकारी एजेन्सी से मकान/फलैट/प्लाट का अर्जन<br>खुले बाजार से मकान/फलैट/प्लाट का अर्जन<br>मकान/फलैट के लिये ऋण का प्रतिसंदाय करना<br>भवन स्थल की खरीद | विभागाध्यक्ष | सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत या वास्ताविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 19 में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए। |
| 04 | 18 (5) | प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :–<br>मकान/फलैट मे परिवर्धन या प्रत्यावर्तन | विभागाध्यक्ष | सामान्य भविष्य निधि खाते में जमाराशि का 50 प्रतिशत या वास्तविक लागत जो भी कम है |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 18 (6)<br>18 (7) | पैत्रिक मकान का रख–रखाव<br>बेरोजगार बच्चों के व्यवस्थापन के लिये वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्जित करने या कारोबार स्थापित करना | | और आगे नियम 19 में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए। |
| 05 | 18 (8) | प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :–<br><br>बच्चे की उच्च शिक्षा | विभागाध्यक्ष | (i) प्रारम्भिक प्रवेश के लिये– प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक या संस्थान द्वारा अपेक्षित राशि जो भी कम है और आगे नियम 20 मे अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए।<br>(ii) वार्षिक भुगतान के लिए – प्रत्येक बच्चे के लिये सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या संस्थान द्वारा अपेक्षित राशि जो भी कम है और आगे नियम 20 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए<br>या<br>सत्र भुगतान के लिए –<br>प्रत्येक बच्चे के लिये वर्ष में दो बार सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 25 प्रतिशत या संस्थान द्वारा अपेक्षित वास्तविक राशि जो भी कम है और आगे नियम 20 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए। |
| 06 | 18 (9) | प्रत्याहरण की स्वीकृति के लियेः–<br>बेटी की शादी या महिला रिश्तेदार की शादी | विभागाध्यक्ष | सामान्य भविष्य निधि खाते में जमाराशि का 75 प्रतिशत और आगे नियम 21 में अधिकथित |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 18(10)<br>18(11) | बेटे की शादी<br>स्वयं की शादी | | शर्तो के अधीन रहते हुए। |
| 07 | <br><br>18(12) | प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :–<br><br>मोटर वाहन (वाहनों) की खरीद | विभागाध्यक्ष | सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या वाहन की वास्तविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 22 में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए। |
| 08 | 18(13) | अधिवर्षिता पर सेवानिवृति से पूर्व 90 प्रतिशत प्रत्याहरण की स्वीकृति | विभागाध्यक्ष | सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत और आगे नियम 23 में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए। |

**टिप्पण 1** : विभागाध्यक्ष केवल अपनी जिम्मेदारी पर और ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जिन्हें वह लगाना चाहे, पर उन्हें उपरोक्त तालिका में दी गई शक्तियों का लिखित में उनके अधीन मुख्यालय/जिला/कोई अन्य कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत किसी अधिकारी को पुनः प्रत्योजित कर सकते हैं। पुनः प्रत्योजित करने की प्रतियां सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग और महालेखाकार, हरियाणा को पृष्ठांकित की जायेंगी।

**टिप्पण 2** : निम्नलिखित अधिकारी विभागाध्यक्षों के अधिकारों को प्रयोग करेंगे, जहां तक इन नियमों का सम्बन्ध उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके नियंत्रण की अधीनस्थ स्थापना से है :

(i) मण्डल (लों) आयुक्त (तों) ।
(ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
(iii) पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक (रेंज/रेलवे)।
(iv) वन–संरक्षक ।
(v) नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री ।
(vi) अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
(vii) जिला शिक्षा अधिकारी/उप मण्डल शिक्षा अधिकारी ।
(viii) राजकीय कला तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य (यों)।
(ix) सिविल विभागों के उप मण्डलों में उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) तथा जिला के मुख्यालयों में नगराधीश ।

**टिप्पण 3** : कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का अग्रिम/प्रत्याहरण क्रमशः विभागाध्यक्ष और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

**टिप्पण 4** : स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उन द्वारा स्वीकृत अग्रिमों/प्रत्याहरणों की समेकित सूची प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही विभागाध्यक्ष को भेजेगा और इसमें अग्रिम/प्रत्याहरण का पूर्ण विवरण जैसे कि अभिदायकर्ता का नाम, सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या, राशि और प्रयोजन अंकित करेगा ताकि अभिदायकर्ता के सम्बद्ध सामान्य भविष्य निधि खाते से वास्तविक अग्रिम/प्रत्याहरण का सत्यापन किया जा सके। विभागाध्यक्ष अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा स्वीकृत अग्रिम/प्रत्याहरण जिसमें मुख्यालय पर स्वीकृत अग्रिम/प्रत्याहरण शामिल है का समेकन करेगा और इनका महालेखाकार हरियाणा के साथ मिलान किया जायेगा।

**टिप्पण 5** : अभिदायकर्ता, जिसने अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन किया हुआ है और उसका आवेदन महालेखाकार को अग्रेषित किया जा चुका है, को अग्रिम/प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल महालेखाकार, हरियाणा से सहमति प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

## अनुबन्ध ञ
## (देखिए नियम–12)

सामान्य भविष्य निधि संचय पर वर्ष 2003–04 के लिये निम्न आंकड़ों के आधार पर ब्याज का आंकलन :–

| क्रम संख्या | विवरण | | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रारम्भिक अतिशेष 1–4–2003 को | | 2,25,980/–रुपये |
| 2. | मासिक अभिदाय | प्रतिमास | 3,000/– रुपये |
| 3. | 6/2003 को महंगाई भत्ते का बकाया जमा | | 2,214/– रुपये |
| 4. | बेटी की सगाई रस्म के लिये 12/12/03 (प्रतिमास 1000/– रुपये की दर से 25 किस्तों में वसूली) को अदा अग्रिम | | 25,000/– रुपये |
| 5. | 2/2004 को जमा महंगाई भत्ते का बकाया | | 3,035/– रुपये |
| 6. | बेटे की उच्च शिक्षा के लिये 4–3–2000 को प्रत्याहरण | | 30,000/– रुपये |
| 7. | वर्ष के दौरान ब्याज दर | | 8% प्रति वर्ष |

**हल**

| भुगतान का मास | अभिदाय | अग्रिमों की वसूली | कुल | आहरण | अतिशेष | मासिक गुणनफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X12=36000 |
| 05/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X11=33000 |
| 06/2003 | 3000+2214 | – | 5214 | – | 5214 | 5214X10=52140 |
| 07/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X9=27000 |
| 08/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X 8=24000 |
| 09/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X7=21000 |
| 10/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X6=18000 |
| 11/2003 | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | 3000X5=15000 |
| 12/2003 | 3000 | – | 3000 | 25000 | (-)22000 | (-)22000X4=(-)88000 |
| 01/2004 | 3000 | 1000 | 4000 | – | 4000 | 4000X3=12000 |
| 02/2004 | 3000+3035 | 1000 | 7035 | – | 7035 | 7035X2=14070 |
| 03/2004 | 3000 | 1000 | 4000 | 30,000 | (-)26000 | (-)26000X1=(-)26000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 138210 |

## वार्षिक गुणनफल

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्रारम्भिक अतिशेष | 2,25,980.00 रुपये |
| (2) | वित्तीय वर्ष का गुणनफल 138210 भाग 12=11,517.50 | 11,517.50 रुपये |
| कुल (1+2) | | 2,37,497.50 रुपये |
| ब्याज = 237497.50x8%=18999.80 अर्थात् | | 19,000.00 रुपये |

## परिशिष्ट क
## [देखिए नियम 3 (2)]
## भविष्य निधि अधिनियम, 1925

**सरकारी भविष्य निधियों और अन्य भविष्य निधियों से सम्बन्धित विधि संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम**

चूंकि सरकारी भविष्य निधियों और अन्य भविष्य निधियों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करना समीचीन है। अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 है।

(2) इसका विस्तार जम्मु कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संन्दर्भ में विरूद्ध न हो,–

(क) ''अनिवार्य निक्षेप'' से किसी भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय या निक्षेप अभिप्रेत है जो उस निधि के नियमों के अधीन, जीवन बीमा की किसी पालिसी के सम्बन्ध में प्रीमियम के संदाय या किसी कुटुम्ब पेंशन निधि के सम्बन्ध में अभिदाय या प्रीमियम के संदाय के प्रयोजन से अन्यथा, मांग पर तब तक प्रतिसंदेय नहीं है जब तक कोई विनिर्दिष्ट घटना न हो जाए और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्वि जो किसी ऐसे अभिदाय, निक्षेप, या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत हो जाती है और

कोई ऐसा अभिदाय, निक्षेप, अंशदान, ब्याज या वृद्धि भी जो ऐसी किसी घटना होने के पश्चात् अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में बाकी बच जाती है, इसके अन्तर्गत है ;

(ख) ''अंशदान'' से कोई ऐसी रकम अभिप्रेत है जो किसी भविष्य निधि में उस निधि का प्रबन्ध करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा उस निधि में किसी खाते में जमा अभिदाय या निक्षेप या अतिशेष के परिवर्धन के तौर पर जमा की गई है; और ''अंशदायी भविष्य निधि'' से ऐसी भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसके नियम अंशदानों को जमा करने के लिए उपबंध करते हैं ;

(ग) ''आश्रित'' से किसी भविष्य निधि में अभिदाय या निक्षेप करने वाले किसी मृत व्यक्ति के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं, अर्थात् पत्नी, पति, माता पिता, संतान, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिन और मृत पुत्र की विधवा तथा संतान, और जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहां पितामह–पितामही ;

(घ) ''सरकारी भविष्य निधि'' से ऐसी कोई भविष्य निधि अभिप्रेत है जो रेल भविष्य निधि से भिन्न है और जो सेक्रेटरी आफ स्टेट, केन्द्रीय सरकार, क्राउन रिप्रेजैंटेटिव या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार से, उस सरकार की सेवा में व्यक्तियों के अथवा शैक्षिक संस्थाओं में नियोजित अथवा केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान निकायों द्वारा नियोजित किसी वर्ग के व्यक्तियों या किन्हीं वर्गों के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, तथा इस अधिनियम में सरकार के प्रति निर्देशों को तदनुसार अर्थ किया जाएगा।

(ड) ''भविष्य निधि'' से ऐसे निधि अभिप्रेत हैं जिसमें किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के अभिदाय या निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं और उनके पृथक् खातों में रखे जाते हैं, और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो ऐसे अभिदाय, निक्षेप या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत होती है इसके अंतर्गत है ;

(च) ''रेल प्रशासन'' से अभिप्रेत है

(i) भारत के किसी भाग में या तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट के किसी विशेष अधिनियम या किसी भारतीय विधि के अधीन अथवा सरकार के साथ की गई किसी संविदा के अधीन किसी रेल या ट्राम का प्रशासन करने वाली कोई कम्पनी, या

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किसी रेल या ट्राम का प्रबन्धक, और उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार इसके अर्न्तगत है ;

(छ) ''रेल भविष्य निधि'' से किसी रेल प्रशासन के प्राधिकार से उसके किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई भविष्य निधि अभिप्रेत है।

3. **अनिवार्य निक्षेप का संरक्षण** – (1) किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि का कोई अनिवार्य निक्षेप किसी भी प्रकार से समनुदेशित या भारित नहीं किया जा सकेगा और अभिदायकर्ता अथवा निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी सिविल, राजस्व या दाण्डिक न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकेगा तथा न तो कोई शासकीय समनुदेशिती और न कोई रिसीवर ही, जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन नियुक्त किया गया हो, किसी ऐसे अनिवार्य निक्षेप का हकदार होगा और न उसका उस पर कोई दावा ही होगा।

(2) किसी ऐसी निधि में किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के समय जमा कोई राशि, जो निधि के नियमों के अधीन उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के किसी आश्रित को अथवा ऐसे व्यक्ति को संदेय है जो इस निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए और उस दशा को छोड़कर जब आश्रित अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी समनुदेशन के अधीन, किसी समनुदेशिती के अधिकारों के भी अधीन रहते हुए, आश्रित में निहित होगी और मृत व्यक्ति द्वारा उपगत अथवा उस

अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु से पूर्व आश्रित द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्व से, यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, मुक्त होगी।

4. **प्रतिसंदायों के बारे में उपबंध** – (1) जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के नियमों के अधीन किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि या उसका अतिशेष इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती करने के पश्चात् संदेय हो गया है तब वह अधिकारी, जिसका कर्तव्य उसका संदाय करना है, यथास्थिति, उस राशि या अतिशेष का अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को संदाय करेगा अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई तो–

(क) यदि वह राशि या अतिशेष अथवा कोई भाग धारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी आश्रित में निहित है तो उसका संदाय उस आश्रित को या ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसके निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है ; या

(ख) यदि सम्पूर्ण राशि या अतिशेष पांच हजार से अधिक नहीं है तो उसका या उसके किसी भाग का संदाय, जो खंड (क) के अधीन संदेय नहीं है, निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्देशित नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए अन्यथा उसको हकदार प्रतीत हो ; या

(ग) यदि ऐसी राशि या अतिशेष या उसका कोई भाग खण्ड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को संदाय नहीं है, तो उसका संदाय –

(i) निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रबन्ध उसे देना साक्ष्यित करने वाला प्रोबेट या प्रशासन–पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, अधिनियम, 1889 के अधीन या 1827 के मुम्बई विनियम 8 के अधीन

दिया गया प्रमाणपत्र, जो उसके धारक को ऐसी राशि, अतिशेष या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाता हो, पेश किए जाने पर करेगा, या

(ii) यदि कोई नामनिर्देशित व्यक्ति नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो ऐसा प्रोबेट, प्रशासन पत्र या प्रमाण पत्र पेश करे :

परन्तु जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित किया गया है, और समनुदेशन की लिखित सूचना अधिकारी को समनुदेशिती से मिल चुकी है, वहां वह अधिकारी इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती तथा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान को या उसके निमित्त खंड (क) के अधीन देय कोई संदाय करने के पश्चात ,–

(i) यदि अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता, अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो वह व्यक्ति जिसको किसी विधिमान्य समनुदेशन के अभाव में वह राशि या अतिशेष उस उपधारा के अधीन संदेय होता, अपनी लिखित सहमति दे देता है तो, यथास्थिति, उस राशि या भाग का या उसके अतिशेष का संदाय समनुदेशिती को करेगा, या

(ii) यदि ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होती है तो, यथास्थिति, उस राशि, भाग या अतिशेष का संदाय, उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में किसी सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय तक के लिए रोक रखेगा।

(2) **उपधारा** (1) द्वारा प्राधिकृत संदाय करने पर, यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन, अभिकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि में से इतनी राशि के सम्बन्ध में, जितनी इस प्रकार संदत्त की गई रकम के बराबर है समस्त दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मोचित हो जाएगा।

5. **नामनिर्देशितियों के अधिकार** – (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में या किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के किसी अभिदायकर्ता या

निक्षेपकर्ता द्वारा उस निधि में अपने खाते में जमा राशि या उसके किसी भाग के, वसीयती या अन्य, किसी बयान में किसी बात के होते हुए भी, जहां निधि के नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया कोई नामनिर्देशन, उस राशि के संदेय हो जाने के पूर्व, अथवा उस राशि के संदेय हो जाने पर उसका संदाय किए जाने के पूर्व, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर ऐसी सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करना तात्पर्यित करता है वहां उक्त व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को यथापूर्वोक्त मृत्यु पर, यथास्थिति, ऐसी राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा, किन्तु यदि –

(क) ऐसा नामनिर्देशन उसी प्रकार किए गए दूसरे नामनिर्देशन से किसी समय परिवर्तित किया गया है अथवा उन नियमों द्वारा विहित रीति से और प्राधिकारी को दी गई सूचना से अभिव्यक्तता रद्द कर दिया गया है ; अथवा

(ख) ऐसा नामनिदेर्शन किसी समय उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने के कारण अविधिमान्य हो गया है, तो यह व्यक्ति हकदार नहीं होगा, और यदि उक्त व्यक्ति, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता से पहले मर जाता है तो नामनिर्देशन, जहां तक वह उक्त व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार से सम्बन्धित है, शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा :

परन्तु जहां निधि के नियमों के अनुसार, नामनिर्देशन में मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से उपबन्ध किया गया है वहां ऐसा अधिकार, उक्त व्यक्ति की यथापूर्वोक्त मृत्यु हो जाने पर ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा।

(2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या 1827 के मुम्बई विनियम 8 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जो यथापूर्वोक्त हकदार हो जाता है ऐसी राशि या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाने वाला हक प्रमाणपत्र, यथास्थिति, उस अधिनियम या उस विनियम के अधीन दिया जा सकेगा और ऐसा

प्रमाणपत्र मृत व्यक्ति की सम्पदा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रोबेट या प्रशासन पत्र दिए जाने से अविधिमान्य या अधिक्रांत हुआ नहीं समझा जाएगा।

(3) भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1946 (1946 का 11) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व किए गए समस्त ऐसे नामनिर्देशनों को भी लागू होंगे।

परन्तु इस प्रकार संशोधित इस उपधारा के उपबन्ध किसी ऐसे मामले पर प्रभाव नहीं डालेंगे जिसमें उक्त तारीख से पूर्व, किन्हीं नियमों के अनुसार सम्यक्तः किए गए किसी नामनिर्देशन के अनुसरण में किसी राशि का संदाय कर दिया गया है या निधि के नियमों के अधीन वह संदेय हो गई है।

6. **कटौतियां करने की शक्ति** – जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के, जो अंशदायी भविष्य निधि है, किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि संदेय हो जाती है तब, यदि निधि के नियमों में उस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निदेश देता है तो उसमें से निम्नलिखित रकम काट ली जाएगी और यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन को संदत्त कर दी जाएगी –

(क) अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी दायित्व के अधीन सरकार या रेल प्रशासन को देय कोई रकम किन्तु जो किसी भी दशा में अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा किन्हीं अंशदानों की तथा किसी ऐसे ब्याज या वृद्धि की, जो ऐसे अनुदानों पर प्रोद्भूत हो गई है, कुल रकम से अधिक नहीं होगी; या

(ख) जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को उसके नियोजन से किन्हीं ऐसे कारणों से, जो निधि के नियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, पदच्युत कर दिया गया है अथवा जहां उसने ऐसे नियोजन को उसके प्रारम्भ के पांच वर्ष के अन्दर त्याग दिया है, वहां किन्हीं ऐसे अंशदानों, ब्याज और वृद्धि की सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भाग।

**6 क. सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर पूर्व अनुज्ञा के बिना वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की दशा में सरकारी अंशदानों को रोक लेना या उनकी वसूली** – (1) इस धारा में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''केन्द्रीय सरकार का अधिकारी'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि में कोई ऐसा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता अभिप्रेत है, जो अपनी सेवा–निवृति के ठीक पूर्व केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 का सदस्य है, किन्तु किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी सेवा–संविदा के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ख) ''वाणिज्यिक नियोजन'' से व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारबार में लगी हुई किसी कम्पनी, सहकारी सोसाईटी, फर्म या व्यश्टि के अधीन (अभिकर्ता की हैसियत सहित) किसी भी हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(i) किसी कम्पनी का निदेशक पद ;

(ii) किसी सहकारी सोसाईटी में अध्यक्ष, सभापति, प्रबन्धक, सचिव, कोषपाल जैसे किसी भी नाम से ज्ञात किसी पद को, चाहे वह निर्वाचित हो या न हो, धारण करना ; और

(iii) ऐसे विषयों में सलाहकार या परामर्शी के तौर पर या तो स्वतन्त्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में व्यवसाय प्रारम्भ करना, जिनकी बाबत –

(क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास कोई वृत्तिक अहर्ताएं नहीं हैं और वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है या चलाया जाता है, उसकी शासकीय जानकारी या अनुभव से सम्बद्ध है, या

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास वृत्तिक अहर्ताएं हैं, किन्तु वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है, ऐसे हैं जिनसे यह सम्भव है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन उनके द्वारा धारित पदो ंके कारण उसके व्यवहारियों को नावाजिब फायदा हो ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को ऐसे कार्य का भार ग्रहण करना है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों से सम्पर्क या संबन्ध अर्न्तग्रस्त है,

किन्तु किसी ऐसे निगम या कम्पनी में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या प्रर्याप्त रूप से सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में है अथवा किसी ऐसे निकाय में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या प्रर्याप्त रूप से सरकार के नियन्त्रण में है या उसके द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ग) ''सरकारी अंशदान'' से भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी अवधि की बाबत किए गए अंशदान अभिप्रेत हैं ;

(घ) ''विहित'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, उस दशा में जब वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है, किसी अंशदायी भविष्य निधि में उसके नाम से जमा किए गए, सरकारी अंशदानों के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण 1** –इस उपधारा और उपधारा (7)के प्रयोजनों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से, सेवानिवृति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य वर्ग 1 पद पर या किसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही किसी अन्य पद पर

सेवा–विच्छेद के बिना पुन नियोजित केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के सम्बन्ध में वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसको केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी सरकारी सेवा में अन्ततः पुनर्नियोजित नहीं रहता।

**स्पष्टीकरण 2** – केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के बारे में, जिसे उसकी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान किसी विशिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में अपने बने रहने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को, उस आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो आवश्यक समझें, अनुज्ञा दे सकती हैं, या ऐसे कारणों से, जो आदेश में अभिलिखित किए जाएंगे, अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने में या देने से इन्कार करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :

(क) जिस नियोजन को ग्रहण करने का विचार है उसकी प्रकृति और नियोजन के पूर्ववृत्त ;

(ख) क्या उस नियोजन में, जिसे ग्रहण करने का उसका विचार है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसे सरकार का विरोध करना पड़े ;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी ने सेवा के दौरान उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन उसका नियोजन प्राप्त करने का विचार है, ऐसे कोई संव्यवहार किए थे जो इस संदेह के लिए युक्तियुक्त आधार हो सकते हैं कि ऐसे अधिकारी ने उस नियोजक के साथ पक्षपात किया था ;

(घ) कोई अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं।

(5) यदि उपधारा (3) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करती है जिसके

लिए आवेदन किया गया है, या आवेदक को ऐसे इन्कार की संसूचना नहीं देती है, तो ये समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अनुज्ञा दे दी है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(6) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन देती है या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है तो आवेदक, उस आशय के केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, किसी ऐसी शर्त या इन्कार के विरूद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, और केन्द्रीय सरकार उस पर ऐसे आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश जो ऐसी शर्त को रद्द करने या किन्हीं शर्तों के बिना ऐसी अनुज्ञा देने वाले आदेश से भिन्न है, अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या कोई ऐसी शर्त भंग करता है जिस पर कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए उसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा दी गई है तो केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जो उसमें अभिलिखित किए जाएंगे, यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे सरकारी अंशदानों के, जो उस अधिकारी के सम्बन्ध में किए गए हों, इतने भाग का हकदार नहीं होगा जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि वह उसे प्राप्त कर चुका है तो यह निदेश देने के लिए सक्षम होगी कि वह सरकारी अंशदानों के उक्त भाग के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को वापस करे :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, सम्बन्धित अधिकारी को ऐसी घोषणा या निदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :–

(i) सम्बन्धित अधिकारी की वित्तीय परिस्थिति ;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे उपलब्धियां ;

(iii) ऐसी अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं।

(8) यदि कोई ऐसी रकम, जो उपधारा (7) के अधीन किसी आदेश द्वारा वापस की जानी अपेक्षित है, विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो वह भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(9) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सन्बन्धित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(10) इस धारा के उपबंध, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या किसी अंशदायी भविष्य निधि को लागू नियमों में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

(11) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

7. **सद्भावपूर्वक किए गए कार्यो के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

8. **अधिनियम को अन्य भविष्य निधियों को लागू करने की शक्ति** –

(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि (धारा 6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सब उपबंध स्थानीय प्राधिकारी उधार

अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे, और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तदनुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, सरकार हो।

(2) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि (धारा 6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सब उपबंध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी के अथवा ऐसी संस्थाओं के किसी समूह के कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तदनुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और वह प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में निधि है, सरकार हो :

परन्तु धारा 6 इस प्रकार लागू होगी मानो उस धारा में निर्दिष्ट अंशदान करने वाला प्राधिकारी, सरकार हो।

(3) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था का नाम जोड़ सकेगी जिसे वह ठीक समझे और इस प्रकार जोड़ा जाना ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम द्वारा किया गया हो।

(4) इस धारा में ''समुचित सरकार'' से अभिप्रेत है –

(क) किसी छावनी प्राधिकरण, किसी महापत्तन के लिए पत्तन प्राधिकरण और किसी ऐसी संस्था के संबध में, जो या जिसके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत प्रतीत हों, केन्द्रीय सरकार ; और

(ख) अन्य मामलों में राज्य सरकार।

**स्पष्टीकरण** – सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था के सम्बन्ध में ''राज्य सरकार'' से उस राज्य की राज्य सरकार अभिप्रेत है जिसमें वह सोसाईटी रजिस्ट्रीकृत है।

**9. सैनिकों की सम्पदाओं के बारे में व्यावृत्तियां** – धारा 4 या धारा 5 की कोई बात किसी ऐसी सम्पदा के धन को लागू नहीं होगी जिसके प्रबन्ध के प्रयोजन के सम्बन्ध में रैजीमैंटल डैट एक्ट, 1893 (56 और 57 विक्ट.सी.5) लागू होता है।

**10. निरसन** – निरसन अधिनियम, 1927(1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

अनुसूची
(जोडी नहीं गई)

## परिशिष्ट–ख

## [देखिए नियम 16(9)]

## नियम 21 में वर्णित अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम का नाम |
|---|---|
| 1. | मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित यांत्रिकी एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा कोर्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, टेलिकम्यूनिकेशन/रेडियो इंजीरियरिंग, मैटालर्जी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल टैक्नोलॉजी, लैदर टैक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टैक्नोलॉजी, कैमीकल टैक्नोलॉजी इत्यादि। |
| 2. | मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित यांत्रिकी एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री कोर्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, टेलिकम्यूनिकेशन/रेडियो इंजीरियरिंग, मैटालर्जी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल टैक्नोलॉजी, लैदर टैक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टैक्नोलॉजी, कैमीकल टैक्नोलॉजी इत्यादि। |
| 3. | विश्व विद्यालयों द्वारा तथा मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित यांत्रिकी एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कोर्स। |
| 4. | मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित आर्कीटैक्चर, नगर योजना तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स। |
| 5. | मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित वाणिज्य में डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्स। |
| 6. | मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित प्रबन्धन में डिप्लोमा कोर्स। |
| 7. | मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा संचालित कृषि, पशु विज्ञान तथा सम्बन्धित विषयों में डिग्री कोर्स। |
| 8. | मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित आर्ट/अप्लाईड आर्ट तथा सम्बन्धित विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स। |
| 9. | मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित मैडीकल पाठ्यक्रमों (जिनमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वैदिक तथा यूनानी पद्धतियां) शामिल हैं। |
| 10. | विज्ञान में स्नात्तक (गृह विज्ञान) पाठ्यक्रम। |
| 11. | मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होटल प्रबन्धन में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स। |
| 12. | गृह विज्ञान में स्नात्तक तथा स्नातकोत्तर कोर्स। |
| 13. | मैडिसन में प्रीप्रोफेशनल कोर्स यदि मैडिसन में नियमित पांच वर्षीय कोर्स या उसका हिस्सा है। |
| 14. | जीव रसायन विज्ञान में पी.एच.डी.। |

15. कानून में स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर कोर्स।
16. माईक्रोबॉयोलॉजी में ''आनर्स'' कोर्स।
17. संघ संस्थान के चार्टर्ड आकाउंटैन्ट।
18. संघ संस्थान के कास्टस तथा वर्क अकाउंटैन्ट।
19. वाणिज्य प्रशासन या प्रबन्धन में स्नात्तक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
20. सांख्यिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
21. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान से कम्पनी सचिव कोर्स ।
22. वाणिज्यिक जहाजों के भावी पैकजनेटिंग अधिकारियों को प्री–सी का कोर्स या प्रशिक्षण जहाज ''राजिन्द्रा ''पर प्रशिक्षण।
23. खनन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग निदेशालय द्वारा संचालित खनन इंजीनियरिंग कोर्स।

**भास्कर चटर्जी**
**वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,**
**वित्त विभाग।**